BCCI BULLETIN

Vol. 51 | JULY - AUGUST : 2020 | No. 4

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

GST क्रियान्वयन के 3 वर्ष पूर्ण होने पर संवाद आयोजित

GST क्रियान्वयन के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी एवं विभागीय अधिकारीगण।

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के आलोक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काफी सादगी के साथ पूर्वाहन 11 बजे चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर द्वारा राष्ट्रध्वज फहरा कर 74वाँ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया।

इस अवसर चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण उपस्थित थे।

संवाद कार्यक्रम में जुड़े विभागीय अधिकारीगण तथा विभिन्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारीगण।

वाणिज्य-कर विभाग द्वारा दिनांक 4 जुलाई 2020 को GST क्रियान्वयन के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राज्य के सभी अंचलों एवं प्रमंडलों के पदाधिकारीगण, व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा अन्य हितधारकों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

मुख्य समारोह श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप-मुख्य (वाणिज्य -कर) मंत्री की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में हुई जिसमें चैम्बर की ओर से श्री पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, श्री आलोक पोद्दार, श्री राजेश खेतान एवं श्री गणेश खेमका भाग लिये।

हमारे सदस्य नार्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कटिहार, डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, दरभंगा, ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, भागलपुर, सेन्ट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, गया के पदाधिकारीगण वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़े।

निर्माण को सेवा क्षेत्र में लाने से तेज होगा विकास

स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान द्वारा 1 अगस्त 2020 को एक ई- संवाद का आयोजन किया गया जिसमें चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने **'नई परिस्थितियों में उद्योग और कारोबार'** विषय पर अपना विचार व्यक्त किया।

सर्विस सेक्टर और निर्माण में काफी संभावनाएँ हैं। निर्माण में इसलिए कि सरकार का इस क्षेत्र के विकास पर काफी जोर है। नया टाउनशिप बने, नया अर्बन एरिया चिह्नित हो। बिजनेस में सबसे अधिक कन्ज्यूमर डिमांड आइटम खाद्य सामग्रियों को छोड़कर आयात होता है। आवश्यकता है कि हमलोग आयात होने वाली चीजों का राज्य में कैसे निर्माण करें। नया ब्रांड बनाने में लोगों को काफी समय

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

कोरोना वायरस (COVID-19) के Lock Down के चलते आम जन-जीवन विशेषकर व्यापारियों एवं उद्यमियों का काफी त्रासदीपूर्ण रहा है। इस भीषण कोरोना वायरस के चलते व्यवसायियों को काफी आर्थिक क्षति हुई जिसकी पूर्ति में कई साल लगेंगे। कोरोना वायरस के अतिरिक्त बाढ़ की विभिषिका ने भी बिहार में व्यावसायिक गतिविधियों को काफी प्रभावित किया है।

लॉकडाउन एवं अनलॉक-4 का असर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज पर भी पड़ा है। फिर भी इस अवधि में चैम्बर अपने सदस्यों की समस्याओं के निराकरण हेतु सतत् प्रयत्नशील रहा है। समय-समय पर व्यवसायियों की समस्याओं पर संबंधित मंत्रियों, अधिकारियों का ध्यान चैम्बर द्वारा विभिन्न बैठकों, पत्राचार तथा समाचार-पत्रों के माध्यम से भी आकृष्ट किया गया है, यथा:-

- महामारी एवं बाढ़ से त्रस्त राज्य के छोटे उद्यमियों, व्यापारियों एवं सेवा प्रदाता को कठोर श्रम कानूनों से राहत देने की मांग।
- MSME कम्पनी एक्ट 2013 के तहत 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के विभिन्न अनुपालनों की नियत तिथि को विस्तारित कर 31 दिसम्बर करने का कॉरपोरेट मंत्रालय, भारत सरकार को आग्रह ताकि व्यवसायी वार्षिक आम सभा की तिथि 30 दिसम्बर 2020 तक कर सकें। इसके अतिरिक्त LLP Settlement Scheme-20, कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम-20 तथा अन्य स्कीम से संबंधित फार्म भरने या शुल्क संशोधन के लिए समय की छूट जो 30 सितम्बर 2020 है, की वैधता को भी 31 दिसम्बर 2020 तक करने का अनुरोध।
- टैरिफ ऑर्डर 2020-21 में आवश्यक संशोधन हेतु बिहार विद्युत विनियामक आयोग से बिजली खपत पर दण्ड शुल्क नहीं लगाने हेतु अनुरोध।
- MSME एवं अन्य व्यवसायियों के लिए घोषित विभिन्न आर्थिक पैकेजों के अनुपालन की केन्द्रीय वित्त मंत्री से मॉनिटरिंग का अनुरोध ताकि सही समय पर एवं सहज रूप से MSMEs को ऋण मिल सके।
- जो कर्जधारक किसी कारणवश कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं हैं, उनके कर्ज पुनर्गठन की अनुमति से कारोबारियों के पैसे बाजार में run करेंगे, उन्हे थोड़ी राहत मिलेगी तथा इकोनॉमी बूस्ट होगी।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 का आयकर रिर्टन जमा करने एवं ऑडिट रिपोर्ट की निर्धारित समय-सीमा को तीन माह के लिए विस्तारित करने हेतु अनुरोध।
- टूरिज्म सेक्टर के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा हेतु अनुरोध।
- ट्रांसपोर्ट नगर में जर्जर सड़कों की मरम्मती का सरकार से अनुरोध।
- जीएसटी रिटर्न का विलम्ब शुल्क माफ करने का अनुरोध।
- टीडीएस के दावे में आ रही व्यवहारिक कठिनाई के आलेक में आयकर अधिनियम 1961 की धारा-11 के प्रावधान में किये गये संशोधन को पूर्व की भाँति करने का अनुरोध।
- कोरोना काल में रियल एस्टेट में आई अस्थिरता को गति प्रदान करने हेतु महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पर बिहार में भी स्टाम्प ड्यूटी की दर की कटौती का अनुरोध।

इसके अतिरिक्त भी कई बिन्दुओं पर चैम्बर ने केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार एवं संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया है। जिनसे संबंधित समाचार-पत्रों में छपी खबरें इस बुलेटीन में आपकी सूचनार्थ प्रकाशित हैं।

जीएसटी क्रियान्वयन के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर दिनांक 4 जुलाई 2020 को वाणिज्य-कर विभाग द्वारा विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद का कार्यक्रम आयोजित हुआ। समारोह मुख्य सचिवालय के सभाकक्ष में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में हुई। इस कार्यक्रम में चैम्बर की ओर से मैं, श्री आलोक पोद्दार, श्री राजेश खेतान एवं श्री गणेश खेमका सम्मिलित हुए। अन्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज भी विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 13 अगस्त 2020 को ईमानदार करदाताओं के सम्मान हेतु **''पारदर्शी कराधान-ईमानदार का सम्मान''** प्लेटफार्म लाँच किया। इसके तहत फेसलेस अपील, फेसलेस असेसमेन्ट और टैक्सपेयर्स चार्टर की शुरूआत, स्वागत योग्य है। यह आयकर विभाग की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने में सहायक होगा। करदाताओं को भी इससे काफी सहुलियत मिलेगी। प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए टेक्नोलॉजी भवन में एनआईसी द्वारा विशेष प्रबंध किया गया था।

बन्धुओं, पूर्व में भी चैम्बर द्वारा सदस्यों को जानकारी दी गयी थी कि चैम्बर द्वारा कोरोना वायरस से संक्रमित सदस्यों के लिए Oxygen Concentrator मशीन एवं Oxygen Cylinder की व्यवस्था की गयी है, सदस्यों से अनुरोध है कि इस व्यवस्था का लाभ उठाएँ। आपकी जानकारी हेतु इस बुलेटीन में भी पूर्ण जानकारी छापी गयी है। चैम्बर की ओर से कोरोना काल में मास्क एवं साबुन का वितरण भी किया गया।

प्राप्त समाचारों से ज्ञात हुआ है कि कोरोना का Vaccine जल्द आने की उम्मीद है और आशा है कि उसके बाद ही कोरोना से लोगों को निजात मिलेगी।

सादर,

आपका

पी० के० अग्रवाल

लगेगा। ऐसे में सरकार को ऐसे उद्यमियों को सहायता देने की आवश्यकता है। जरूरत है कि सरकार जो भी पॉलिसी बनाए, उसके कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा निर्धारित हो। कोरोना के कारण बाहर से सामान आना मुश्किल हो गया है। यह एक संभावना है कि हमलोग अपने सामान का उत्पादन करें। हमारे पास कच्चा माल है लेकिन जिस गुणवत्ता का माल चाहिए वैसा नहीं है। वैसे कच्चे माले के उत्पादन के लिए इंसेंटिव देने की जरूरत है। यहाँ कृषि आधारित उद्योग की काफी संभावनाएं है। आईटी क्षेत्र का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भी होना चाहिए।

सवाल और जवाब

सवाल : गुणवत्ता वाले कच्चे उत्पाद नहीं होने से संभावना के बावजूद फूड इंडस्ट्री फल-फूल नहीं पा रही है? हमें 'जैविक खेती' व 'क्वांटम जंप' की तरफ क्यों नहीं बढ़ना चाहिए?

जवाब : हमने जो उदाहरण दिया, वह व्यवहारिक पक्ष है। जो लोग चिप्स बनाना चाहते हैं उन्हें सही आलू नहीं मिलता। यहाँ सभी चीजों की मांग है। 1986 से लेकर 2011 तक में बनी औद्योगिक नीति बनाने में व्यवसायी शामिल रहे। 2016 में जो पॉलिसी बनी उसमें हमलोगों के किसी भी सुझाव को शामिल नहीं किया गया।

सवाल : कोरोना संकट के बाद पैदा हुई नई परिस्थितियों में उद्योग और कारोबार के लिए नया अवसर क्या पैदा हुए और चुनौती क्या है?

जवाब : उद्योग क्षेत्र में रोजगार सृजित हो सकता है। यहाँ मिट्टी भी बिक सकती है। उदाहरणार्थ सेनेटाइजर को देखा जा सकता है। सेनेटाइजर की मांग यहाँ काफी है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 2.8.2020)

चैम्बर द्वारा कोराना वायरस से संक्रमित सदस्यों के लिए Oxygen Concentrator की व्यवस्था

पत्रांक 316 दिनांक 12 अगस्त, 2020

सेवा में,

सभी सदस्यगण,

COVID - 19 कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों के लिए करीब 3-4 दिन काफी गंभीर होता है जिसमें उन्हें लगातार ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। रोगियों को एक दिन में लगातार ऑक्सीजन दिया जाता है तो उसके लिए तीन-चार सिलेंडर की आवश्यकता होती है जिसकी व्यवस्था कर पाना कठिन होता है।

इस विषम परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं सदस्यों के सुझाव पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने Oxygen Concentrator की व्यवस्था की है। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता नहीं होती है क्योकि यह मशीन लगातार वायुमंडल से ऑक्सीजन खीचकर आवश्यकतानुसार ऑक्सीजन की आपूर्ति करता रहता है जिसके कारण बिहार सरकार एवं अन्य राज्यों द्वारा भी इस मशीन को Prefer किया जा रहा है।

यह सुविधा केवल चैम्बर के सदस्यों के लिए है और अधिकतम 5 दिनों के लिए ऑक्सीजन मशीन दिया जाएगा तथा जो सदस्य इस मशीन को ले जाएंगे उन्हें एक Undertaking देना होगा कि उपयोग के उपरान्त मशीन को सुरक्षित रूप से समय पर चैम्बर कार्यालय में वापस पहुँचा दिया जायगा। मशीन को रास्ते में ले जाने, लाने एवं घर पर कोई क्षति पहुँचती है तो उसकी जिम्मेवारी संबंधित सदस्य की होगी।

हमारी कामना है कि आप सदैव सपरिवार स्वस्थ्य रहें और आपको इसकी आवश्यकता न पड़े परन्तु दुर्भाग्वश यदि आपको ऑक्सीजन मशीन की आवश्यकता पड़ती है तो इससे संबंधित विशेष विवरण उपलब्धता हेतु निम्नलिखित दूरभाष पर संपर्क किया जा सकता है-

1. श्री मुकेश कुमार जैन, उपाध्यक्ष : 9334106929
2. श्री गिरधर झुनझुनवाला : 9334496039
3. श्री ए. के. दूबे : 9471888831

इस संबंध में यह सूचित करना है कि इस कार्य में मार्गदर्शन (Guidance) हेतु एक जानकार व्यक्ति की व्यवस्था की गयी है जिसकी सेवा हेतु छवउपदंस चार्ज लिया जायगा।

सधन्यवाद,

भवदीय
अमित मुखर्जी
महामंत्री

चैम्बर द्वारा मास्क एवं साबुन का वितरण

दिनांक 29.8.2020 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्रीज की ओर से राहगिरों, रिक्शा-ठेला चालकों तथा सब्जी दुकानदारों के बीच मास्क और साबुन की टिकिया का वितरण चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी द्वारा किया गया।

कंपनी एक्ट अनुपालन की तिथि बढ़ाए कॉरपोरेट मंत्रालय : बीसीसीआई

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया है कि कम्पनी एक्ट-2013 के अन्तर्गत उसके अनुपालन की नियत तारीख का विस्तार 31 दिसम्बर तक करे ताकि कम्पनियों द्वारा सहज रूप से उसका अनुपालन कराया जा सके।

चैम्बर के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने 21 अप्रैल 2020 को सर्कुलर संख्या 18/2020 जारी किया है, जिसके तहत जिनका वित्तीय वर्ष 31 दिसम्बर 2019 को समाप्त हुआ है उन्हें 30 सितम्बर 2020 तक वार्षिक आम बैठक करने का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने पुन: 5 मई 2020 को एक सर्कुलर जारी किया है। जिसमें कंपनियों को कैलेंडर वर्ष-20 के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों के माध्यम वार्षिक आम बैठक का संचालन करने की अनुमति दी है। जबकि सुदूर क्षेत्रों में इन्टरनेट की कनेक्टीविटी पूर्णरुपेण सही नहीं होने के कारण स्टेकहोल्डर एवं निदेशकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार के अन्य प्रतिबंधों यथा सामाजिक दूरी के कारण कार्यालयों में जाकर ऑडिट एवं आवश्यक कागजात के रेकॉर्ड का वैरीफिकेशन करने में भी कठिनाई आ रही है। उन्होंने कहा कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा लायी गई योजना यथा सेटलमेंट स्कीम 2020, कम्पनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 और अन्य स्कीम से संबंधित फॉर्म भरने या शुल्क संशोधन के लिए समय की छूट जिसकी वैधता 30 सितम्बर 2020 है, का भी देश के कई क्षेत्रों में लॉकडाउन

होने के कारण स्टेकहोल्डर इन योजनाओं का पूरिपेण लाभ नहीं ले पा रहे हैं जो इन योजनाओं के उद्देश्यों को पूरा नहीं करता है।

चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि कोविड-19 के कारण पहले से ही सरकार के कई कार्यालय बंद रहे हैं या आंशिक रूप से आवश्यक कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं। साथ ही वर्तमान में देश के कई राज्य बाढ़ की विभीषिका से पूरी तरह त्रस्त हैं। ऐसी परिस्थिति में कंपनियों के लिए अधिनियम 2013 के तहत उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने में काफी कठिनाइयाँ आ रही है।

चैम्बर ने कोविड-19 महामारी के कारण पूर्व से जन-जीवन में आयी अस्त-व्यस्तता एवं वर्तमान में देश के कई राज्यों में आयी बाढ़ के कारण हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय से अनुरोध किया है कि 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए 31 दिसम्बर 2020 तक वार्षिक आम बैठक कराने के लिए नियत तिथि का विस्तार किया जाए। साथ ही एलएलपी सेटलमेंट स्कीम-20, कम्पनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम-20 और अन्य स्कीम से संबंधित फॉर्म भरने या शुल्क संशोधन के लिए समय की छूट जो 30 सितम्बर 2020 है, की वैधता को भी 31 दिसम्बर 2020 तक बढ़ाया जाए।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 18.8.2020)

कठोर कानून से मिले राहत : चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने सरकार से कोविड- 19 महामारी और बाढ़ से त्रस्त राज्य के छोटे उद्यमी, व्यापारी एवं सेवा प्रदाता को कठोर श्रम कानूनों से राहत देने की मांग की है। चैम्बर ने कहा है कि ऐसा होने पर ही अधिकाधिक रोजगार सृजन हो सकेगा और व्यापारी भी अपना अस्तित्व बचाने में सफल हो सकेंगे।

चैम्बर के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा है कि राज्य का उद्योग कोरोना से प्रभावित था। उस पर बाढ़ ने 16 से ज्यादा जिलों में सारा कारोबार ठप कर दिया है। उन्होंने केन्द्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी, श्रम मंत्री संतोष गंगवार, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी, श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा, मुख्य सचिव दीपक कुमार, प्रधान सचिव वित्त डॉ. एस. सिद्धार्थ आदि से छूट देने की मांग की है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 19.8.2020)

कर्ज की अवधि बढ़ने से कर्जधारक को मिल सकेगी राहत

भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को कर्ज का पुनर्गठन करने की अनुमति दे दी है। इससे कर्ज की अवधि बढ़ाकर कर्ज की किस्त को घटाया जा सकेगा। जिससे कर्जधारकों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। हालांकि इस सुविधा का लाभ 1 मार्च, 2020 तक नियमित लोन चुकाने वालों को ही मिलेगा। इस तरह जो कर्जधारक किसी कारणवश कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं हैं, वह अपने कर्ज का पुनर्गठन कर सकते है। इसके लिए आपको अपने बैंक से संपर्क करना होगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी आरबीआइ की ओर से कोविड संक्रमण के मद्देनजर कर्जधारक को सुविधा प्रदान करने के लिए छह महीने तक इंट्रेस्ट जमा नहीं करने की छूट दी गयी थी। जिसकी अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो गयी। अब आरबीआइ द्वारा कर्ज का पुनर्गठन करने की अनुमति मिलने के बाद आम लोगों को किस तरह इसका फायदा मिलेगा। इस बारे में हमने बैंकिंग सेक्टर के कुछ विशेषज्ञों से बात की।

बाजार की स्थिति होगी मजबूत : कर्ज चुकाने की अवधि बढ़ाये जाने से लोगों के पैसे मार्केट में रन करेंगे। इससे इकोनॉमी बूस्ट होगी। अभी की स्थिति में लोगों के पास जमा पूंजी की कमी हुई और पर्चेजिंग केपेसिटी कम हुई है। आरबीआइ इस पहल से कर्ज धारकों को थोड़ी राहत मिलेगी और इससे एकोंनमी भी बूस्ट करेगी। इससे पहले भी आरबीआइ की तरफ से इस मॉनिटरी पॉलिसी पर बैंकों का भी बड़ा रोल होगा। इसमें किस तरह की एडजस्टमेंट की जाये ताकि कर्ज धारक को सहायता मिले। आरबीआइ के इस पॉलिसी से भी लोगों को फायेदा मिलेगा। **– पी. के. अग्रवाल,** अध्यक्ष
बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

आरबीआइ के इस कदम से प्रोत्साहन : कोरोना से बाजार पर असर पड़ा है। कुछ उद्योग चल भी रहे हैं, तो खर्च मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे हालात में कर्ज पुनर्गठन की इस अनुमति से कारोबारियों को सांस लेने का समय मिलेगा। अलग-अलग बैंकों की पॉलिसी क्या फायदा देती है, यह देखना होगा। अभी फिलहाल इतना तो कहा ही जा सकता है कि आरबीआइ के इस कदम से कारोबारियों को प्रोत्साहन मिलेगा और वे बैंकों की नजर में डिफॉल्टर होने से बच सकेंगे। **– एस. के. पटवारी,** बिहार चैम्बर कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

(विस्तृत : प्रभात खबर, 9.8.2020)

आर्थिक पैकेज के अनुपालन की खुद मॉनीटरिंग करें केन्द्रीय वित्त मंत्री: चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एमएसएमइ एवं अन्य कारोबारियों के लिए घोषित विभिन्न आर्थिक पैकेजों का बैंकों और कार्यान्वयन ऑथोरिटी से अनुपालन एवं मॉनीटरिंग करने का आग्रह किया है। चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि चूंकि एमएसएमइ उद्योगों की अहम भूमिका है तथा इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, इस संबंध में चैम्बर ने उदाहरण के साथ कठिनाइयों से केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ध्यान आकृष्ट कराया है एवं आग्रह किया है कि ससमय एवं सहज रूप से एमएसएमइ उद्यमियों को ऋण मिले। यह सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि बैंकों एवं इसकी कार्यान्वयन ऑथोरिटी की ओर से इसकी प्रॉपर मॉनीटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए।

(साभार : प्रभात खबर, 31.7.2020)

जर्जर सड़कों से व्यवसायियों को क्षति : चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने सरकार से ट्रान्सपोर्ट नगर में जर्जर सड़कों की मरम्मत की मांग राज्य सरकार से की है।

चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि सड़कों की दयनीय स्थिति के कारण आये दिन वाहन पलट जाते हैं। इससे व्यवसायियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। पटना शहर के अन्दर बड़े वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध के कारण सभी व्यवसायी वाहन माल ट्रान्सपोर्ट नगर में स्थित गोदामों में उतारते हैं। वहाँ से इसे छोटे वाहनों से दुकानों तक लाते हैं। कोरोना काल की इस विषम परिस्थिति से जूझने के बावजूद पटना के व्यवसायियों का प्रयास है कि किसी भी वस्तु की किल्लत पटना में न हो। चैम्बर अध्यक्ष ने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए उपमुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, मुख्य सचिव, सचिव नगर विकास सचिव परिवहन एवं नगर आयुक्त से अनुरोध किया है कि अविलम्ब ट्रान्सपोर्ट नगर की सड़कों की मरम्मत करायी जाए। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 8.8.2020)**

महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में भी हो स्टांप ड्यूटी की दर में कटौती

मांग : • चैम्बर अध्यक्ष ने उप मुख्यमंत्री सहित अन्य को लिखा पत्र • कहा-इस फैस्टिवल सीजन में रियल एस्टेट में होगा अधिक कारोबार • 01 सितम्बर से 31 दिसम्बर तक तीन फीसद की स्टांप ड्यूटी में महाराष्ट्र सरकार ने की कटौती • 02 फीसद की कटौती की गई है एक जनवरी से 31 मार्च 2021 तक

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से राज्य सरकार से महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में भी स्टांप ड्यूटी की दर में कटौती की मांग की गई है। इसके लिए उप मुख्यमंत्री सह वित्त-वाणिज्य मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री, उद्योग मंत्री सहित अन्य अधिकारियों को पत्र लिखा गया है।

चैम्बर के अध्यक्ष पी. के अग्रवाल ने पत्र में कहा कि कोरोना काल में रियल एस्टेट में आई स्थिरता को गति देने के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से स्टांप ड्यूटी में एक सितम्बर से 31 दिसम्बर तक तीन फीसद की कटौती की गई है। वहीं, एक जनवरी से 31 मार्च 2021 तक के लिए दो फीसद की कटौती की गई है। वर्तमान में महाराष्ट्र के बड़े शहरों में स्टांप ड्यूटी की दर पाँच फीसद और

अन्य क्षेत्रों में छह फीसद है। उन्होंने कहा कि जल्द ही फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएगा। इस मौसम में बड़े पैमाने पर लोग मकान, फ्लैट, जमीन आदि खरीदते हैं। ऐसे में अगर स्टांप ड्यूटी की दर में राहत मिलती है तो इस खरीदारी का दायरा बढ़ेगा। इससे राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी। साथ ही कोरोना महामारी से जूझ रहे रियल एस्टेट का विकास होगा और अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिल सकेगा। **(साभार : दैनिक जागरण, 30.8.2020)**

टैरिफ ऑर्डर में हो संशोधन : चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग से आग्रह किया है कि टैरिफ ऑर्डर 2020-21 में आवश्यक संशोधन किया जाये तथा बिजली खपत पर दंड शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए, बल्कि पहले की तरह ही मांग शुल्क पर लगाए दंड शुल्क को ही जारी रखा जाना चाहिए। चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने बताया कि यदि किसी उपभोक्ता का अनुबंध मांग 100 केवीए है और किसी माह में 125 केवीए हो जाती है तो 25 केवीए पर डिमांड चार्ज और सामान्य ऊर्जा की खपत पर भी उसी अनुपात में ऊर्जा शुल्क सामान्य दर से दुनी शुल्क लिया जाता है। टैरिफ में रखी गई इस शर्त के कारण उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर भारी प्रभाव पड़ रहा है।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 6.8.2020)

टूरिज्म सेक्टर के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा करे सरकार : चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने सरकार से राज्य के होटल, रेस्टोरेंट, होटल ढाबा, लाइन होटल, टैक्सी एवं बसें, ट्रैवल एवं टिकट बुकिंग एजेंसी तथा सभी आतिथ्य केन्द्रों के लिए विशेष राहत पैकेज देने का अनुरोध किया है। कोरोना संक्रमण के कारण मार्च, 2020 से अभी तक यह सेक्टर पूरी तरह से बंद रहने से बंदी के कगार पर आ गया है।

चैम्बर अध्यक्ष पी. के अग्रवाल कहा कि बिहार में अन्य पर्यटन स्थलों के अलावा धार्मिक पर्यटन स्थलों की काफी संभावना रही है। बौद्ध, जैन, सिख, हिन्दू एवं अन्य धर्मो के अनुयायी देश-विदेश से आते हैं और धार्मिक स्थलों के अवस्थित होटलों में ठहरते हैं। लेकिन यात्रियों के नहीं आने से होटल पूरी तरह से बंद है। पर्यटन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए ही दिल्ली सरकार ने फिलहाल होटलों को खोलने की अनुमति दी है। साथ ही केरल सरकार ने भी अपने राज्य में कोरोना वायरस से जुझ रहे पर्यटन सेक्टर को राहत दी है। अग्रवाल ने कहा कि पर्यटन सेक्टर राज्य के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(साभार : प्रभात खबर, 21.8.2020)

टीडीएस के दावे में आ रही है व्यावहारिक कठिनाई

आयकर अधिनियम 1961 की धारा- 11 के प्रावधान में किए गए संशोधन को पूर्व की भांति करने का अनुरोध

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने केन्द्रीय वित्त मंत्री, सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज के चैयरमैन, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार-झारखंड) एवं आयकर के सेन्ट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेन्टर को पत्र के माध्यम से आयकर में टीडीएस के दावे में करदाताओं को आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों पर ध्यान देने का आग्रह किया है। उन्होंने कठिनाइयों को दूर करने एवं आयकर अधिनियम 1961 की धारा-11 के प्रावधान में किए गए संशोधन को पूर्व की भांति करने का अनुरोध किया है ताकि करदाताओं को सुविधा हो एवं मुकदमों तथा विवादों की परिस्थितियों से करदाताओं को बचाया जा सके।

चैम्बर अध्यक्ष पी. के अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान आयकर रिटर्न में एक तंत्र पहले से ही मौजूद है जिसे बाद के वर्षो में चालू वर्ष के टीडीएस को हाईलाइट करने एवं उसी वर्ष में दावा करने के लिए आय प्रस्तुत की गई है। इसी तरह वर्तमान में आयकर रिटर्न में एक सुव्यवस्थित प्रणाली की आवश्यकता होती है जो यह दिखा सके कि उसके बाद के साल में जिस कर में कटौती की गई है वह पहले के वित्तीय वर्ष के लिए दाखिल आयकर रिटर्न में दिखाया गया है जिसके लिए करों का भुगतान भी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे निर्धारिती को फिर से आय दिखाने, बिना टीडीएस के लिए क्रेडिट लेने में परेशानी होगी, क्योंकि यह पहले वित्तीय वर्ष में पहले ही दिखाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इससे संबंधित नोटिस आयकर की धारा 139 (9) सीपीसी द्वारा बहुतों करदाताओं को दिया जाता है जिसमें करदाता द्वारा उनको वस्तु स्थिति की सूचना देने के बाद भी इस साल जो टीडीएस कटा है और जिस आय पर लिया गया, उस आय को इसके पहले के साल में दिखाया जा चुका है। क्योंकि मर्कनटाइल सिस्टम एकाउंटिंग में आवश्यक है। उन्होंने बताया कि 15 दिसम्बर 16 को आयकर अधिनियम में किये ये संशोधन जो 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी किया गया के कारण करदाताओं को व्यवहारिक कठिनाईओं का सामना करना पड़ रहा है। चैम्बर अध्यक्ष ने बताया कि केन्द्रीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया है कि टीडीएस दावे की व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर किया जाए तथा धारा 115 के प्रावधानों पर पुर्नविचार करते हुए उसे पूर्व की भांति कर को 30 प्रतिशत बहाल किया जाए। ताकि करदाता अवांछनीय मुकदमों तथा विवाद से बच सकें।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 23.8.2020)

जीएसटी रिटर्न का बिलंब शुल्क माफ हो: चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने केन्द्रीय वित्त मंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री, सेंट्रल जीएसटी के प्रधान मुख्य आयुक्त, राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव, वाणिज्य-कर विभाग एवं जीएसटी काउंसिल से अनुरोध किया है कि जीएसटी के अर्न्तत फरवरी 2020 से जुलाई 2020 तक की फाइल की जानेवाली रिटर्न 3बी का 30 सितम्बर तक एवं अगस्त-20 का 10 अक्टूबर तक का बिलम्ब शुल्क को पूरी तरह माफ किया जाना चाहिए। वैसे व्यवसायी जिन्होंने अपना रिटर्न 1 जुलाई 2020 के पूर्व बिलम्ब शुल्क के साथ भुगतान कर दिया था, उन्हें बिलम्ब शुल्क वापस किया जाना चाहिए।

चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी में फरवरी, मार्च एवं अप्रैल 2020 का रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए बिलम्ब शुल्क को सशर्त माफ कर दिया गया है। मई, जून, जुलाई और अगस्त 20 के लिए बिलम्ब शुल्क में कोई छूट नहीं दी गई है। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 15.8.2020)**

मालवाहक वाहनों के लिए रोड टैक्स में छूट की मांग

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने राज्य सरकार से मालवाहक वाहनों के रोड टैक्स में छूट की मांग की है। चैम्बर के अध्यक्ष पी. के अग्रवाल ने कहा कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्टरों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार को उनके मालवाहक वाहनों का रोड टैक्स माफ़ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार मोटर व्हीकल टैक्सेशन रूल 1994 में टेम्पोरेरी डिस्कन्टीन्युएंस का प्रावधान है। कोई ट्रांसपोर्टर यदि फॉर्म जे भरकर आवेदन करे तो उक्त अवधि के लिए रोड टैक्स में छूट दी जा सकती है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 3.8.2020)

बेरोजगार कर्मियों को मासिक वेतन का सौ प्रतिशत भुगतान करे सरकार: चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने कोरोना काल में बेरोजगार हुए कर्मचारियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की ओर से अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत मासिक वेतन का 50 प्रतिशत भुगतान को बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने एवं राहत के लिए घोषित अवधि तीन माह को बढ़ाकर नौ माह तक करने की मांग सरकार से किया है।

चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण काफी संख्या में बेरोजगार हुए लोगों की आर्थिक स्थिति पहले से दयनीय थी ही दूसरे में बिहार के साथ-साथ देश के कई भागों में बाढ़ ने काफी तबाही मचायी है, जिसमें बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हुआ है और उसका भी प्रतिकुल प्रभाव उन कामगारों पर पड़ा है, जो पहले से बेरोजगार हो चुके हैं।

फलस्वरूप वे लोग परिवार का भरण-पोषण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। श्री अग्रवाल ने बताया कि औद्योगिक इकाइयों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत यदि बीमार पड़ जाते हैं, तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा उनका इलाज के साथ-साथ जितने दिनों तक बीमारी की अवधि में अवकाश पर रहते हैं उसकी क्षतिपूर्ति निगम द्वारा करने का प्रावधान है।

(साभार : आज, 27.8.2020)

करदाता सम्मान योजना का स्वागत

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने **'पारदर्शी कराधान-ईमानदार का सम्मान'** प्लेटफार्म की लांचिंग का स्वागत किया है। इसे दिनांक 13.8.2020 को प्रधानमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए लाँच किया।

चैम्बर के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा है कि आयकर क्षेत्र में इस प्लेटफार्म में फेसलैस अपील, फेसलैस असेसमेंट और टैक्सपेयर चार्टर की शुरूआत स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि यह आयकर विभाग की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने में सहायक होगा। करदाताओं को भी इससे सहूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए टेक्नोलॉजी भवन में एनआईसी द्वारा विशेष प्रबंध किया गया था। **(साभार : हिन्दुस्तान, 14.8.2020)**

आयकर रिटर्न की तारीख बढ़ाने की मांग

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आयकर रिटर्न जमा करने व वित्तीय वर्ष 2019-2020 का ऑडिट रिपोर्ट को जमा करने के लिए नियत तिथि का तीन माह के लिए विस्तार किया जाये। साथ ही आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234 एक के प्रावधानों को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए निर्लंबित किया जाये। चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि करदाता पहले से ही कोरोना महामारी से परेशान थे और अब बाढ़ ने परेशानी को और बढ़ा दिया है। ऐसे में आवश्यक कागजातों को एकत्रित कर ससमय आयकर विवरणी दाखित करना असंभव प्रतीत होता है। इसे लेकर चैम्बर अध्यक्ष ने केन्द्रीय वित्त मंत्री, चेयरमैन, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त व उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त वाणिज्य-कर मंत्री से अनुरोध किया है कि समय-सीमा तीन महीने के लिए विस्तारित किया जाये। **(साभार : प्रभात खबर, 13.8.2020)**

पेट्रोल और डीजल बिक्री के लिए लाइसेंस नियम बदले

500 करोड़ रुपये से अधिक नेटवर्थ वाली कंपनियों को ही खुदरा व थोक दोनों ग्राहकों को पेट्रोल व डीजल की बिक्री के लिए लाइसेंस दिया जाएगा।

सरकार ने दिनांक 4.8.2020 को कहा कि जिन इकाइयों की संपत्ति कम से कम 500 करोड़ रुपये होगी, सिर्फ उन्हें ही खुदरा व थोक दोनों ग्राहकों को पेट्रोल व डीजल की बिक्री के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नवंबर, 2019 की उदारीकृत लाइसेंस व्यवस्था पर एक स्पष्टीकरण में कहा कि 250 करोड़ रुपये नेटवर्थ तक की इकाई को या तो थोक या फिर केवल खुदरा ग्राहकों को ही पेट्रोल ओर डीजल की बिक्री का लाइसेंस मिलेगा। पिछले साल सरकार ने गैर-तेल कंपनियों को इस कारोबार में उतरने की अनुमति देने के लिए वाहन ईधन के बिक्री कारोबार के नियमों को उदार किया था। इससे निजी और विदेशी कंपनियों को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार में कदम रखने में मदद मिलेगी। इससे पहले तक सिर्फ उन कंपनियों को भारत में ईधन के खुदरा कारोबार के लिए लाइसेंस दिया जाता था, जिन्होंने हाइड्रोकार्बन की खोज और उत्पादन, रिफाइनिंग, पाइपलाइन या एनएलजी टर्मिनल में 2,000 करोड़ रुपये का निवेश किया हुआ हो।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने बयान में कहा कि सरकार ने 8 नवम्बर, 2019 को पेट्रोल और डीजल की थोक या खुदरा बिक्री के लिए अनुमति के सरल दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया। बयान में कहा गया है कि कोई भी कंपनी जो पेट्रोल और डीजल की थोक या खुदरा बिक्री करना चाहती है उसकी संपत्ति कम से कम 250 करोड़ रुपये होनी चाहिए। **(साभार : दैनिक जागरण, 5.8.2020)**

टैक्स सिस्टम में बड़ा सुधार, प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया करदाता चार्टर

करदाताओं को तीन बड़े अधिकार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिनांक 13.8.2020 को टैक्स सिस्टम में बड़े सुधार का एलान करते हुए ईमानदार करदाताओं के सम्मान के लिए **'पारदर्शी कराधान-ईमानदार का सम्मान'** प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि इसके तहत तीन बड़े सुधार-फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्सपेयर चार्टर लाये गये हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्सपेयर चार्टर की शुरुआत 13 अगस्त से हो गयी है, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितम्बर से उपलब्ध होगी। इस मौके पर पीएम ने देशवासियों से आगे आकर टैक्स भुगतान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि करदाता के लिए टैक्स देना या सरकार के लिए टैक्स लेना, ये कोई अधिकार का विषय नहीं है, बल्कि ये दोनों का दायित्व है। पीएम ने कहा कि फेसलेस असेसमेंट के तहत टैक्सपेयर्स को आयकर विभाग के दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं, टैक्सपेयर चार्टर अफसरों और टैक्सपेयर्स के कर्तव्यों और अधिकारों को निर्धारित करता है।

करदाताओं को नहीं लगाने होंगे आयकर विभाग के चक्कर

क्या बोले प्रधानमंत्री

पिछले छह साल में कई सुधार किये गये : पीएम ने कहा कि एक समय था, जब टैक्सेशन की व्यवस्था में तमाम सुधारों की बात की जाती थी। कई बार जटिलता व दबाव में फैसले किये गये और उन्हें सुधार कहा गया। उन्होंने कहा कि देश में बीते छह सालों में टैक्स प्रशासन से जुड़े कई अहम सुधार हुए हैं।

कोर्ट के बाहर ही केस सुलझाने की कोशिश : पीएम ने कहा कि अब हाइकोर्ट में एक करोड़ रुपये तक के और सुप्रीम कोर्ट में दो करोड़ रुपये तक के केस की सीमा तय की गयी है। **'विवाद से विश्वास'** जैसी योजना से कोशिश ये है कि मामले कोर्ट से बाहर ही सुलझ जाएं।

130 करोड़ के देश में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग देते हैं टैक्स : पीएम ने कहा पिछले 6-7 साल में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या में करीब 2.5 करोड़ की वृद्धि हुई है। लेकिन, ये भी सही है कि 130 करोड़ के देश में ये अब भी कहुत कम है। इतने बड़े देश में सिर्फ 1.5 करोड़ साथी ही इनकम टैक्स जमा करते हैं।

"आयकर विभाग ने डीआइएन की व्यवस्था लागू की है। इसका इस्तेमाल आयकर विभाग से सभी तरह के कम्यूनिकेशन के लिए होगा। चाहे वह असेसमेंट, अपील, जाँच, पेनाल्टी और सुधार संबंधी किसी अन्य चीज से हो। डीआइएन के बिना आयकर विभाग से कोई भी कम्यूनिकेशन अमान्य और गैरकानूनी माना जायेगा।"

– **निर्मला सीतारमण,** केन्द्रीय वित्त मंत्री

अब जाँच आपके शहर में नहीं, कहीं और हो सकती है : प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक जिस शहर में हम रहते हैं, उसी शहर के टैक्स अफसर टैक्सपेयर्स की जाँच, अपील और नोटिस देने का जिम्मा संभालते थे। लेकिन, अब ये भूमिका एक प्रकार से खत्म हो गयी है। अब जाँच के मामलों को किसी भी अधिकारी के पास आवंटित किया जायेगा। जैसे अब मुम्बई के किसी टैक्सपेयर के रिटर्न से जुडा मामला आता है, तो इसकी छानबीन का जिम्मा अब मुम्बई के अधिकारी के पास नहीं जायेगा, बल्कि वो चेन्नई की फेसलेस टीम के पास जा सकता है। अब फेसलेस टीम कौन-सी होगी, इसमें कौन-कौन होगा ये भी औचक किया जायेगा। इसमें हर साल बदलाव भी होता रहेगा। यह पूरी व्यवस्था कंप्यूटरीकृत होगी।

टैक्सपेयर से अपेक्षाएँ : • टैक्सपेयर को ईमानदारी से सही रकम घोषित करनी चाहिए और उस पर टैक्स देना चाहिए • टैक्सपेयर को जिम्मेदारी पता होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर आयकर विभाग से मदद लेनी चाहिए

• टैक्सपेयर को ये पता होना चाहिए कि उसकी तरफ से उसके प्रतिनिधि ने क्या जानकारी और टैक्स दिया है • हर टैक्सपेयर के पास कानून के हिसाब से सही जानकारी होनी चाहिए।

• **फेसलेस असेसमेंट :** टैक्सपेयर को अफसर से मिलने की जरूरत नहीं हैं। अब कंप्यूटर से तय होगा कि कौन-सा टैक्स असेसमेंट कौन अधिकारी करेगा। • **फेसलेस अपील :** अपील किसी भी अधिकारी को रैंडमली आवंटित की जायेगी। अफसरों की पहचान अज्ञात रहेगी। • **टैक्सपेयर चार्टर :** इसका मकसद टैक्सपेयर्स की परेशानियों को कम करना और अधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। **(साभार : प्रभात खबर, 14.8.2020)**

सभी लोन रिस्ट्रक्चर हो सकेंगे, सोने पर 75% के बजाय अब 90% लोन

• हर तरह का लोन रिस्ट्रक्चर करवाकर डिफॉल्ट होने के खतरे से बचा जा सकेगा • लेकिन, फायदा सिर्फ उन्हीं को, जो मार्च 2020 से पहले कभी डिफॉल्टर नहीं रहे हैं

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 6.8.2020 को अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा में नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन, आम आदमी को दो बड़ी राहतें दीं। **पहली राहत –** केन्द्रीय बैंक ने रिटेल और कॉर्पोरेट लोन एक बार रिस्ट्रक्चर करवाने को मंजूरी दे दी है। इससे आर्थिक संकट से जूझ रहे लोग होम, ऑटो, पर्सनल और एजुकेशन लोन को रिस्ट्रक्चर करवाकर डिफॉल्ट के खतरे से बच सकेंगे। यह सुविधा उन्हें ही मिलेगी, जिन्होंने मार्च 2020 से पहले कभी डिफॉल्ट नहीं किया हो। आरबीआई ने पाँच महीने से चले आ रहे मोरेटोरियम की अवधि आगे नहीं बढाई है। **दूसरी राहत –** रिजर्व बैंक ने कर्ज और सोने के मूल्य का अनुपात (एलटीवी) 75% से बढ़ाकर 90% कर दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि परिवारों, उद्यमियों और छोटे कारोबारियों पर कोरोना का असर कम करने के लिए सोने के गहने पर एलटीवी का अनुपात 90% करने का फैसला लिया गया है। यह 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा। एक अप्रैल 2021 से फिर से 75% एलटीवी लागू हो जाएगा। इस फैसले से गोल्ड लोन कंपनियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि, अभी सोने की कीमतें उच्चतम स्तर पर हैं। सोने की 90% कीमत के बराबर कर्ज देने के बाद आगे चलकर अगर सोने की कीमतें 10% से ज्यादा गिरती हैं तो लोन डिफॉल्ट का खतरा बढ़ जाएगा।

ऐसे मिलेगा फायदा

1 लाख रुपये का सोना गिरवी रखकर 90 हजार लोन ले सकेंगे : अब तक 1 लाख रु. का सोना गिरवी रखने पर अधिकतम 75 हजार रु. का लोन ले सकते थे। अब 1 लाख रु के सोने पर 90 हजार रु. तक कर्ज मिल सकेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक, सोने पर एलटीवी बढ़ाने से जरूरतमंदों को राहत मिलेगी, क्योंकि अब वे अधिक लोन ले सकेंगे। इससे आने वाले दिनों में गोल्ड लोन का ट्रेंड बढ़ सकता है।

अब ईएमआई कम कराकर लोन की अवधि भी बढ़ाई जा सकती है

1. ग्राहक और बैंक को क्या फावदा होगा?

जो लोग 1 मार्च 2020 तक नियमित भुगतान करते रहे हैं और अब किसी वजह से ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, वे इस स्कीम की वजह से डिफॉल्टर होने से बच सकेंगे। वहीं, बैंकों का एनपीए नहीं बढ़ेगा। रिस्ट्रक्चरिंग का अधिकार बैंक के पास रहेगा। बैंक ही जांचेंगे कि ग्राहक को रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है या नहीं? मोरटोरियम नहीं लेने वाले कर्जदार इसके दायरे में आएंगे या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

गोल्ड लोन की मौजूदा दरें

संस्थान	ब्याज दरें	संस्थान	ब्याज दरें
एसबीआई	7.5%	मुथुट फाइनेंस	27% तक
मणप्पुरम फाइनेंस	12.%-29%	बैंक ऑफ बड़ौदा	9%-9.75%
पीएनबी	8.60%-8.85%		

(स्रोत: पैसाबाजार डॉट कॉम)

2. स्कीम लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी?

कर्जधारक को लोन रिस्ट्रक्चर का प्लान 31 दिसम्बर से पहले संबंधित बैंक से मंजूर करवाना होगा। इसके बाद बैंक को इसे 90 दिन में लागू करना होगा। रिस्ट्रक्चरिंग के तहत ये विकल्प होंगे...

- **पहला :** नए सिरे से लोन निर्धारित करते समय मूलधन व बकाया ब्याज को जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए अगर किसी का 1 लाख रु. का लोन बकाया है और मोरटोरियम की वजह से ब्याज 7 हजार रु. बढ़ गया है तो नया लोन 1.07 लाख रु. का हो जाएगा। इसमें कुछ अन्य शुल्क भी जुड़ सकते हैं।
- **दूसरा :** कर्ज की अवधि भी संशोधित की जा सकती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मानो किसी ग्राहक की कमाई कोरोना संकट के कारण कम हो गई है तो अब वह ईएमआई कम कराकर लोन की अवधि बढ़वा सकता है। हालांकि, यह स्कीम पहले से ही है। अब रिस्ट्रक्चरिंग में भी ग्राहक इसका फायदा ले सकेंगे।

3. रिस्ट्रक्चरिंग के बाद क्या होगा?

नया खाता शुरू होगा। पुराना खाता बंद होगा।

4. किस-किस तरह के लोन की रिस्ट्रक्चरिंग होगी?

कज्यूमर क्रैडिट, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, शेयर-डिबेंचर्स आदि के लिए लिया गया लोन रिस्ट्रक्चर हो सकेगा। समुचित नियम-शर्तें निर्धारित करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है। जल्द ही सबकुछ स्पष्ट हो जाएगा।

5. मोरटोरियम और रिस्ट्रक्चरिंग में क्या अंतर है?

31 अगस्त को मोरटोरियम की सुविधा खत्म हो जाएगी। इसके तहत लोन की किस्तें स्थगित थीं। कर्जधारक को अगस्त के बाद कुल ईएमआई और मोरटोरियम अवधि के ब्याज सहित कुल अदायगी करनी होगी। रिस्ट्रक्चरिंग अब इसके बाद भी भुगतान में असमर्थ कर्जधारकों के लिए है। हालांकि, वित्तीय एक्सपर्ट्स के मुताबिक यदि आप भुगतान कर सकते हैं तो स्कीम में आपके लिए कुछ भी नहीं है। रिस्ट्रक्चरिंग पर बैंक कर्ज भुगतान की अवधि बढ़ा देंगे, जिससे लंबे समय ठक ब्याज भरना पड़ेगा। **(साभार : दैनिक भास्कर, 7.8.2020)**

सबसे बुरे दौर से निकल चुकी इकोनॉमी

• वित्त मंत्रालय ने कहा-कृषि क्षेत्र बनेगा खेवनहार • ढांचागत स्तर पर जल्द ही होंगे चार प्रमुख बदलाव • इकोनॉमी की रिकवरी कई राज्यों में जारी कोरोना संक्रमण की कमी पर निर्भर करेगी

देश की अर्थव्यवस्था अपने सबसे बुरे दौर से बाहर आ चुकी है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों की ताजा रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक अर्थव्यवस्था को बुरे दौर से उबारने में कृषि क्षेत्र की अहम भूमिका होने जा रही है, जिसकी जीडीपी में 15 फीसद की हिस्सेदारी है। ढांचागत स्तर पर भी सरकार जल्द चार प्रमुख बदलाव करने वाली है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था की रिकवरी कई राज्यों में जारी कोरोना संक्रमण की कमी पर निर्भर करेगी।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक जीएसटी कलेक्शन व कोर सेक्टर के उत्पादन के साथ निर्यात में गिरावट का स्तर कम हो रहा है। वहीं ई-वे बिल, बिजली के उत्पादन, माल की ढुलाई में बढ़ोतरी हो रही है।

चालू वित्त वर्ष में जीएसटी कलेक्शन

अप्रैल	– 32,172 करोड़	जून	– 90,917 करोड़
मई	– 62,151 करोड़	जुलाई	– 87,422 करोड़

कृषि क्षेत्र से वित्त मंत्रालय को इसलिए सबसे अधिक उम्मीद दिख रही है क्योंकि इस साल मानसून सामान्य है। खरीफ की बोआई पिछले वर्ष के मुकाबले 14% अधिक है। किसानों से सरकार ने 75,000 करोड़ रुपये मूल्य के गेहूँ की खरीद की है। मनरेगा को 60,000 करोड़ के बजट प्रावधान के अलावा अलग से 40,000 करोड़ रुपये दिए जाने से ग्रामीण क्षेत्र में खपत में बढ़ोतरी

होगी। चालू फसल वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 29.83 करोड़ टन का रखा है जो पिछले साल मुकाबले एक फीसद अधिक है।

इन ढांचागत बदलावों की तैयारी : कोरोना महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए सरकार ने सात प्रकार के ढांचागत बदलाव की योजना तैयार की थी। इनमें से तीन बदलाव हो चुके हैं। इनमें एपीएमसी कानून में बदलाव, एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव और कोयला खनन का व्यवसायीकरण शामिल हैं। आगामी बदलावों में सार्वजनिक कंपनियों का निजीकरण, एफडीआइ नीति में सुधार, भूमि सुधार और बिजली दरों को लेकर नई नीति लाना शामिल हैं। **(साभार : दैनिक जागरण, 5.8.2020)**

रुपये 50 हजार व अधिक के चेक का फोटो देख कर क्लियर करेंगे बैंक

पिछले कुछ वर्षों से बैंकों में धोखाधड़ी के मामले में लगातार वृद्धि हो रही है जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको रोकने के लिए कड़े नियमों को भी लागू किया है। धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए अब बैंकिंग प्रणाली में ग्राहकों के लिए एक नयी सुविधा शुरू होने जा रही है। चेक से लेनदेन में धोखाधड़ी रोकने के लिए बैंकिंग प्रणाली में **'पॉजिटिव पे'** फीचर उपलब्ध कराया जायेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसकी घोषणा की है। इस संबंध में जल्द ही अन्य दिशानिर्देश जारी किये जायेंगे। इससे चेक संबंधी धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी।

भुगतान मूल्य के अनुसार 80% लेनदेन होंगे कवर : आरबीआइ की एमपीसी की बैठक के बाद गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि, चेक भुगतान की सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए 50,000 रुपये या उससे अधिक मूल्य के सभी चेक के लिए पॉजिटिव पे का फीचर लाने का निर्णय किया गया है। उन्होंने कहा कि 50, 000 रुपये की इस सीमा के तहत संख्या की दृष्टि से करीब 20 फीसदी और भुगतान मूल्य के हिसाब से 80 फीसदी लेनदेन आ जायेगा।

पॉजिटिव पे सिस्टम को ऐसे समझें : पॉजिटिव पे फीचर के तहत चेक जारी करने वाला व्यक्ति को चेक सौंपने से पहले चेक की फोटो खींचना होगा और उसे चेक नंबर, चेक डेट, पेई का नाम, खाता नंबर, रकम आदि विवरण के साथ चेक के अगले और पिछले हिस्से की फोटो बैंक की मोबाइल ऐप पर अपलोड करना होगा। जब लाभार्थी उस चेक को बैंक में जमा करेगा तो बैंक पहले से प्राप्त विवरणों से चेक को मिलान करेगा। मिलाने सही होने पर ही चेक क्लियर किया जायेगा। **(साभार : प्रभात खबर, 8.8.2020)**

औद्योगिक क्षेत्र की जमीन पर 10 नहीं, 8 % लगेगा ब्याज

राज्य के उद्यमियों के लिए खुशखबरी है। बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बियाडा) के औद्योगिक क्षेत्र की जमीन पर अब उन्हें 10% के बदले 8% ही ब्याज लगेगा। बियाडा की 64वीं बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित किया गया है। बोर्ड से प्रस्ताव पास होने के बाद इसे सरकार के पास अनुमति के लिए भेजा गया है। राज्य सरकार कोरोना संक्रमण काल में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई तरह की सुविधाएं दे रही है। पिछले दिनों राज्य के औद्योगिक नीति-2016 में संशोधन कर कई तरह की प्रोत्साहन देने की घोषणा भी की है। बियाडा की जमीन पर लगने वाले ब्याज का मुद्दा मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी उठाया था।

उपलब्ध प्लॉट का निकलेगा विज्ञापन : बियाडा अपने औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग के लिए उपलब्ध प्लॉट की जानकारी विज्ञापन के माध्यम से देगा। औरंगाबाद, भोजपुर के गिद्दा, बक्सर, जहानाबाद, बिहारशरीफ, पटना के पाटलिपुत्र और सिंकदरपुर, रोहतास में डेहरी और बिक्रमगंज, भागलपुर में बरारी, दरभंगा में बेला और मधुबनी में पंडोल आदि औद्योगिक क्षेत्र में जमीन उपलब्ध है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 6.8.2020)

विनम्र निवेदन

वित्तीय वर्ष 2020-21 की सदयता शुल्क के भुगतान का विपत्र माननीय सदस्यों की सेवा में भेजा हुआ है। काफी सदस्यों ने कृपापूर्वक अपने सदस्यता शुल्क का भुगतान कर दिया है। जो सदस्य अभी तक सदस्यता शुल्क का भुगतान नहीं कर पायें हैं, उनसे निवेदन है कि अपना सदस्यता शुल्क शीघ्र भेजने की कृपा करें।

TAXPAYERS' CHARTER
THE INCOME TAX DEPARTMENT

is committed to

1. Provide fair, courteous, and reasonable treatment
   The Department shall provide prompt, courteous, and professional assistance in all dealings with the taxpayer.
2. Treat taxpayer as honest
   The Department shall treat every taxpayer as honest unless there is a reason to believe otherwise.
3. Provide mechanism for appeal and review
   The Department shall provide fair and impartial appeal and review mechanism.
4. Provide complete and accurate information
   The Department shall provide accurate information for fulfilling compliance obligations under the law.
5. Provide timely decisions
   The Department shall take decision in every incometax proceeding within the time prescribed under law.
6. Collect the correct amount of tax
   The Department shall collect only the amount due as per the law.
7. Respect privacy of taxpayer
   The Department will follow due process of law and be no more intrusive than necessary in any inquiry, exami-nation, or enforcement action.
8. Maintain confidentiality
   The Department shall not disclose any information provided by taxpayer to the department unless authorized by law.
9. Hold its authorities accountable
   The Department shall hold its authorities accountable for their actions.
10. Enable representative of choice
    The Department shall allow every taxpayer to choose an authorized representative of his choice.
11. Provide mechanism to lodge complaint
    The Department shall provide mechanism for lodging a complaint and prompt disposal there of.
12. Provide a fair & just system
    The Department shall provide a fair and impartial system and resolve the tax issues in a time-bound manner
13. Publish service standards and report periodically
    The Department shall publish standards for service delivery in a periodic manner.
14. Reduce cost of compliance
    The Department shall duly take into account the cost of compliance when administering tax legislation.

and expects taxpayers to

1. Be honest and compliant
   Taxpayer is expected to honestly disclose full information and fulfil his compliance obligations.
2. Be informed
   Taxpayer is expected to be aware of his compliance obligations under tax law and seek help of department if needed.
3. Keep accurate records
   Taxpayer is expected to keep accurate records required as per law.
4. Know what the representative does on his behalf
   Taxpayer is expected to know what information and submissions are made by his authorised representative.
5. Respond in time
   Taxpayer is expected to make submissions as per tax law in timely manner.
6. Pay in time
   Taxpayer is expected to pay amount due as per law in a timely manner.

Taxpayers can approach the Taxpayers' Charter Cell under Principal Chief Commissioner of Income tax in each Zone for compliance to this charter. For more Information, visit http://incometaxindia.gov.in

प्रदेश के पाँच बड़े शहर उगल रहे 93 हजार टन से अधिक इ-वेस्ट

उद्योग विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के रिसाइक्लिंग प्लांट के लिए जमीन देने का निर्णय लिया है। बियाडा ने अब तक प्रदेश के 52 औद्योगिक क्षेत्रों में 27 में इ-कचरे के रिसाइक्लिंग प्लांट स्थापित करने के लिए प्लॉट निर्धारित कर दिये हैं। एनजीटी की गाइडलाइन के मद्देनजर बियाडा के इस कदम से इ-कचरे को प्रदेश में ही रिसाइकल किया जा सकेगा।

वर्तमान में प्रदेश में इ-वेस्ट के लिए एक भी वैध रिसाइक्लिंग प्लांट नहीं है। बिहार में प्रति व्यक्ति करीब 100 से 200 ग्राम इ-कचरा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में बिहार में एक लाख टन से अधिक इ-कचरा निकल रहा है। पिछले सात वर्षों में 400% इ-कचरा बढ़ने का अनुमान है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक सबसे पहले बिहार में 2013 में इ-कचरे का आकलन किया गया था। इसके मुताबिक 2013 में बिहार के महज चार शहरों में 23241 टन इ-कचरा फेंका जा रहा था। तब इ-कचरा संग्रह के लिए राज्य में कलेक्शन सेंटर नहीं थे। इस सर्वे के दौरान अनुमान लगाया गया था कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कचरा निकलने की दर 58 फीसदी बरकरार रही, तो राज्य के पांचों बड़े शहरों में 2020 के अंत तक 93578 टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्सर्जित होगा। जानकारों के मुताबिक राज्य के शेष शहरों में पाँच से सात हजार टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा निकल रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक कचरा

शहर	2013	2020	शहर	2013	2020
पटना	10259	38415	गया	3623	14254
मुजफ्फरपुर	3465	16611	दरभंगा	2833	12650
भागलपुर	3061	11648			(टन में)

विशेष तथ्य : • वर्तमान में कचरा संग्रह के लिए राज्य में 150 से अधिक कचरा संग्रह सेंटर बनाये गये हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक कचरा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी संबंधित कंपनियों को दी गयी है • हकीकत में ये सेंटर काम नहीं कर रहे हैं। अभी कंपनियां अपनी तरफ से एकत्रित कचरे को अपने-अपने रीसाइक्लिंग सेंटर्स को भेजती हैं। ये सभी सेंटर्स नोएडा व दक्षिण भारत के कुछ शहरों में स्थापित हैं।

इ-वेस्ट सबसे घातक : इ-वेस्ट में सबसे घातक पारा और सीसा जैसे तत्व हैं, जो भूजल को जहरीला बना रहे हैं। इन दोनों तत्वों की कुल इलेक्ट्रॉनिक कचरे में भागीदारी 40 फीसदी के आसपास है। इ-कचरे में लेड, मरकरी, कैडमियम और कोबाल्ट जैसे खतरनाक तत्व होते हैं। इसके संपर्क में आने से तंत्रिका तंत्र (न्यूरो), सांस, त्वचा, कैंसर व दिल संबंधी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए रिसाइक्लिंग सेंटर्स की स्थापना में काफी एहतियात बरते जाते हैं।

(साभार : प्रभात खबर, 6.8.2020)

नयी फैक्टरी लगाने वालों को मिली सुविधा

कानून में बदलाव : श्रमिकों से जुड़े कानून में लगातार बदलाव किया जा रहा है, जिसमें कारखाना मालिकों को सहूलियत, तो श्रमिकों पर बोझ बढ़ सकता है। इसी कड़ी में अब राज्य में जो भी नये कारखाने लगाये जायेंगे, उनको अगले एक हजार दिनों तक अपने मुताबिक काम करा सकने की सहुलियत मिलेगी। अब स्वास्थ्य व सुरक्षा को छोड़ सरकार का कोई भी सेवा शर्त का पालन करना जरूरी नहीं होगा। इस छूट का लाभ दिलाने के लिए पिछले मॉनसून सत्र में विशेष विधेयक पारित कराया गया है। अब इस विधेयक पर राज्यपाल की सहमति ली जायेगी। श्रम कानून पर केन्द्र की भी सहमति जरूरी है। छूट में सरकारी प्रक्रिया निवेश में बाधा नहीं बने, वहीं तक संशोधन किया जा रहा है। बस सरकार की कोशिश है कि निवेशक बिना परेशानी नयी फैक्टरी लगा सकें।

मध्यप्रदेश के तर्ज पर दी गयी सहूलियत : श्रम संसाधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बिहार ने मध्यप्रदेश के तर्ज पर ही कारखाना लगाने वालों को सहूलियत दी है। श्रम कानूनों के कारण निवेशकों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, वैसी ही नीति बनायी गयी है। वहीं, कर्मियों को सेवा शर्त के अलावा औद्योगिक विवाद अधिनियम में भी छूट दी गयी है। साथ ही जब कारखाना बंद करेंगे, तो उसमें भी छूट दी जायेगी।

विभाग के मुताबिक मजदूरों के हितों का रखा गया है ध्यान : नये कानून में मजदूरों के हितों का कोई नुकसान नहीं हो। इसलिए स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। नयी नीति से अधिक मजदूरों को काम मिल सकेगा। सरकार की यह कोशिश जरूर है, लेकिन इस प्रयास में मजदूरों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। कोई फैक्टरी संचालक मजदूरों का शोषण नहीं कर सके ऐसी व्यवस्था हर हाल में बनायी गयी है।

कारखाना मालिकों को यह छूट भी रहेगी : • बिना पावर वाली फैक्टरी में 20 के बदले 40 कर्मी होने पर मिलेगा लाइसेंस • 300 से कम कर्मचारी वाले कारखाने को बंद करने में रियायत • मजदूरों के काम की अवधि आठ घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे की गयी है • 50 से कम मजदूर से काम कराने पर ठेकेदारों को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं • एक हजार दिन यानी लगभग ढाई साल तक कर्मियों से बिना किसी सेवा शर्त के काम लेंगे कारखाना मालिक।

(साभार : प्रभात खबर, 6.8.2020)

बिहार सरकार

BIHAR INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT AUTHORITY

आवश्यक सूचना

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) अंतर्गत उपलब्ध भूमि आवंटन हेतु परियोजना समाशोधन समिति (पी. सी. सी.) की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जाती रही है। दिनांक 31.7.2020 को संपन्न हुए पी. सी. सी. की बैठक के निर्णयानुसार विधानसभा चुनाव हेतु आदर्श आचार संहिता के लगने से पूर्व तक प्रत्येक सोमवार को पी. सी. सी. की बैठक आहूत की जायेगी।

बियाडा में रिक्त भूखंडो से संबंधित सूचना यथा औद्योगिक क्षेत्रवार आवंटन योग्य भूमि, रकवा, दर इत्यादि सहित को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन प्रत्येक माह किया जा रहा है। साथ ही उक्त से संबंधित विस्तृत सूचना बियाडा के वेबसाईट www.biadabihar.in पर उपलब्ध है। बियाडा में भू-आवंटन की प्रक्रिया पूर्णत: ऑनलाईन है। आवेदक भूमि आवंटन हेतु 24 घंटे कभी भी ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट State.bihar.gov.in/prdbihar पर देखा जा सकता है।

कार्यकारी निदेशक (मु०)

(साभार : दैनिक जागरण, 7.8.2020)

No.2/1(5)/2019- P&G/ Policy (pt.IV)
Ministry of MSME
Office of the Development Commissioner (MSME)
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises
(MSME Policy Division)

Dated: 6th August,2020
Nirman Bhavan, New Delhi

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Clarification on existing Entrepreneurs Memorandum (EM) Part-II/ Udyog Aadhaar Memorandum (UAM) / New Udyam Registration-regarding

This refers to Notification No. S. O. 2119(E) dated 26.6.2020 issued by Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) regarding criteria for classification of enterprises as Micro, Small & Medium Enterprises and their registration in Udyam Portal.

Thereafter, Government has received some representations seeking clarifications on certain issues necessitating the issuing of this Office Memorandum (O. M.).

2. Validity of EM Part II and UAMs as issued till 30th June, 2020:

(i) There are representations Whether the existing EM Part II and /or UAMs of the MSMEs are valid or not.

(ii) It is to be clarified that at present they are valid. Para (3) of Clause 7 of the above Notification No. S. O. 2119 (E) dated 26.6.2020, reads as follows:

"The existing enterprises registered prior to 30th June, 2020, shall continue to be valid only for a period up to the 31st day of March, 2021".

(iii) Therefore, it is clarified and emphasized that all the existing EM Part II and UAMs obtained till 30.6.2020 shall remain valid till 31.3.2021.

3. Editing /updating of the existing registration details:

There are also doubts whether existing UAM holders may edit or amend their details on the UAM portal. It is clarified that the same can be done till 31.3.2021. Those enterprises that have not entered their Aadhaar or PAN number so far in the UAM portal are hereby advised to obtain" Udyam Registration Number" Well before 31.3.2021.

4. Action to be taken before 31st March 2021 by Entrepreneurs:

(i) Since the existing registrations as EM Part II and / or UAMs **will not remain valid after 31st March, 2021** it is strongly recommended that their holders file fresh registration in the new Udyam Registration Portal (https://udyamregistration. gov.in).

(ii) Attention is also drawn to Para (2) of Clause 7 of the above Notification No. S. O. 2119 (E) dated 26.6.2020 which reads as under:

"All enterprises registered till 30th June, 2020, shall be re-classified in accordance with this notification".

(iii) To make the re-classification proper and realistic, it is necessary that the latest details are entered by the MSMEs.

(iv) It is preferable that the entrepreneur files new **registration in the Udyam Registration Portal.** Therefore, all enterprises with EM Part II and/or UAMs are advised to register themselves on the Udyam Registration well before 31.3.2021 in the Udyam Registration Portal (www. udyamregistration.gov.in).

5. Value of Plant and Machinery or Equipment :

(i) There are clarifications sought by the entrepreneurs regarding valuation of plant and machinery or equipments on cost or purchase price while filing the Udyam Registration.

(ii) Para 3 of clause 4 Notification No. S. O. 2119(E) Dated 26.6.2020 reads as follows:

"The expression plant and machinery or equipment of the enterprise, shall have the same meaning as assigned to the plant and machinery in the Income Tax Rules, 1962 framed under the Income Tax Act, 1961 and shall include all tangible assets (other than land and building, furniture and fittings)".

(iii) It is clarified that online Form for Udyam Registration captures depreciated cost as on 31st March each year of the relevant previous year. Therefore, the value of Plant and Machinery or Equipments for all purposes of the Notification No. S. O. 2119(E) dated 26.6.2020 and for all the enterprises shall mean the Written Down Value (WDV) as at the end of the Financial Year as defined in the Income Tax Act and not the cost of acquisition or original price, which was applicable in the context of the earlier classification criteria.

6. RBI's Cireular:

In the light of the above, RBI is being requested to revisit their Circular No. RBI /2020-2021/10/FIDD. MSME & NFS. BC. No. 3/06.02.31/2020-21 dated 2.7.2020.

Miscellaneous :

Taking this opportunity, it is further reiterated that the entire registration process is free of cost. Also, it should be done only, on and through the Government Portal as above.

This issues with the approval of competent authority.

(Sd/-)
(D. K. Singh)
Additional Secretary & Development Commissioner (MSME)

पेट कोक एवं फर्नेश ऑयल पर राज्य की ईंधन नीति

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार

(बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के परामर्श से तैयार)

पृष्ठभूमि :

देश में वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण हेतु भारतीय संसद द्वारा पारित/ अधिनियमित वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 व्यापक कानून हैं।

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 19 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के परामर्श से अधिसूचना संख्या 135 दिनांक 8.3.1988 द्वारा सम्पूर्ण बिहार राज्य को **"वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र"** घोषित किया गया है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के तहत दिनांक 16.11.2009 को राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक अधिसूचित किया गया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा भी वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक दिनांक 18. 11.2009 को अधिसूचित किया गया है।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, राज्य में परिवेशीय वायु गुणवत्ता से संबंधित मानक अनुपालन सुनिश्चित करने तथा राज्य सरकार को वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण एवं उपशमन (abatement) के लिए परामर्श देने हेतु उत्तरदायी है।

वायु प्रदूषण के मानकों का अनुपालन नहीं करने वाले शहरों (Non-attainment cities) यथा-पटना, मुजफ्फरपुर एवं गया तथा गंभीर प्रदूषित क्षेत्र (हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र) में वायु प्रदूषण का स्तर विशेष रूप से जाड़े के मौसम में एक गंभीर चिंता का विषय रहा है। मानकों को पूरा नहीं करने वाले शहरों (Non-attainment cities) में वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण तथा हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरणीय गुणवत्ता बनाये रखने एवं व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक (Comprehensive Environmental Pollution Index) को नीचे लाने हेतु कार्ययोजना बनाये गये हैं। औद्योगिक इकाईयों द्वारा कोयला, पेट-कोक, एच.एस.डी. फर्नेस ऑयल, एल.पी. जी., कृषि आधारित ईंधन जैसे पेराई उपरान्त ईख के अवशेष (Bagasse)धान की भूसी आदि का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त वर्णित कार्य-योजनाओं (Action Plan) में औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण भी सम्मिलित है।

कच्चा पेट्रोलियम कोक (Raw Petroleum Coke): आर. पी. सी. (जिसे अक्सर पेट-कोक कहा जाता है) तेल शोधन कारखानों के कोकर इकाई अथवा अन्य टूटने (Cracking)की प्रक्रिया से प्राप्त एक कार्बन-युक्त (Carbonaceous) ठोस है। पेट्रोलियम कोक (Pet Coke) कच्चे तेल के शोधन के दौरान जनित एक उप-उत्पाद (by product) है जबकि अन्य कोक परंपरागत रूप से कोयले से प्राप्त किया जाता है। कच्चा पेट्रोलियम कोक एक किफायती घरेलू एवं औद्योगिक ईंधन है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में (ईंधन श्रेणी कोक को सामान्यतया पेट-कोक कहा जाता है) अथवा सूखी बैट्री (dry cell), इलेक्ट्रॉड आदि (एनोड श्रेणी का कोक) के उत्पादन में किया जाता है। कम धातु युक्त आर. पी. सी. को एनोड ग्रेड कोक के रूप में जाना जाता

है। अधिक धातुयुक्त कोक को कलसाइन्ड करने हेतु जलाया जाता है। ऐसे आर पी. सी. (RPC) को ईंधन श्रेणी कोक कहा जाता है।

सामान्यत: पेट कोक में स्टीम कोयले की अपेक्षा कम राख (<0.5%). कम आद्रता (8-10%) एवं कम वाष्पशील पदार्थ (Volatiles 8-10%) होते है, फलस्वरूप इनकी उच्चदहन क्षमता / कैलोरीमान 8000 किलो कैलोरी/प्रति किलोग्राम होती है। सामान्यतया कोयले की तुलना में जहाँ सल्फर की मात्रा 0.5 से 1.0% होती है, पेट कोक में इसकी मात्रा 6-7.5% तक पायी जाती है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली की एक रिपोर्ट (संदर्भ: एन. सी. आर के लिए पर्यावरणीय प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकार) के अनुसार थर्मल पावर प्लांट में कोयले की अपेक्षा पेट कोक के उपयोग से उत्सर्जन की मात्रा 5 से 6 गुणा अधिक होती है जबकि 15-40 टन प्रति घंटा स्टीम उत्पादन क्षमता वाले औद्योगिक बॉयलर में यह 3 से 6 गुना अधिक होती है।

सीमेंट उद्योग के विनिर्माण प्रक्रिया में (ईंधन के रूप में नहीं) पेट कोक उपयोगी है क्योंकि सल्फर, कैल्सियम सल्फेट ($CaSO_4$) में परिवर्तित होकर, यह जिप्सम की आवश्यक्ता को कम करता है। एनोड श्रेणी के कच्चे पेट्रोलियम कोक के कैल्साइनेशन (Calcination) से कैल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक (सी. पी. सी.) बनाया जाता है। कैल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक का उपयोग एल्यूमिनियम, स्टील और टाइटेनियम गलाने वाले उद्योग के लिए एनोड बनाने के लिए किया जाता है।

ईंधन तेल (Fuel Oil) जिसे फर्नेस ऑयल भी कहा जाता है, कच्चे तेल के शोधन की प्रक्रिया में भारी घटक (heavier Component) के रूप में प्राप्त किया जाता है। फर्नेस ऑयल में भी सल्फर की मात्रा अधिक (3. 5% तक) होती है। अत: इससे भी अधिक सल्फर डाइआक्साइड (So_2) का उत्सर्जन होता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या (सिविल) संख्या 13029/1985 संदर्भ में दिनांक 24.10.2017 को पारित आदेश द्वारा एन. सी. आर क्षेत्र के उद्योगों में पेट कोक और फर्नेस ऑयल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुन: माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महसूस किया कि पेट कोक और फर्नेस ऑयल के कारण होने वाला प्रदूषण केवल एन. सी. आर. तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के लगभग सभी राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए भी एक समस्या है। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली को निदेशित किया है कि वह सम्बन्धित राज्यों को इस संबंध में अनुपालन हेतु उचित निर्देश जारी करे। तदनुसार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत अपने पत्रांक बी- 33014/07/2019/ आई. पी. सी. - II / 5747-5778 दिनांक 23.8.2019 द्वारा सभी राज्यों को पेट कोक और फर्नेस ऑयल के उपयोग के बारे में एक नीति तैयार करने हेतु निम्नलिखित निदेश जारी किया गया है:-

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 13029/1985 में पेट कोक एवं फर्नेस ऑयल के उपयोग के संबंध में पारित विभिन्न आदेशों के आलोक में राज्य सरकार / केन्द्र शासित शासन अपने-अपने क्षेत्रों में पेट कोक / फर्नेस ऑयल के उपयोग के सबंध में एक 'ईंधन नीति' तैयार कर इसे लागू करेंगे।
2. राज्य सरकार / केन्द्र शासित शासन संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / प्रदूषण नियंत्रण समिति के माध्यम से पेट कोक/ फर्नेस ऑयल के उपयोग पर "ईधन नीति" का उल्लंधन करते पाये जाने की स्थिति में पर्यावरणीय कानूनों के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए किसी भी उद्योग के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ (डब्लू पी. संख्या-13029/ 1985) में पारित आदेश के आलोक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत में आयातित पेट कोक के विनियमन एवं अनुश्रवण हेतु ज्ञापांक 18011/54/2018 CPA दिनांक 10.9. 2018 द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गये हैं। उपरोक्त के आलोक में ईंधन के रूप में पेट-कोक का उपयोग करने हेतु आयात को प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि पेट कोक का उपयोग फीडस्टॉक के रूप में अथवा सीमेंट, चूना-भट्ठा, कैल्सियम कार्बाइड और गैसीकरण जैसे कुछ उद्योगों की विनिर्माण प्रक्रिया में करने हेतु आयात की अनुमति दी गयी है।

पेट-कोक में सल्फर की मात्रा अधिक होने के कारण सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2)के उत्सर्जन की संभावना अधिक होती है। यही कारण है कि इसका उपयोग ईंधन के रूप में प्रतिबंधित किया गया है। आयातित पेट कोक एवं घरेलू स्तर पर उत्पादित पेट-कोक के बीच कोई भेद-भाव नहीं किया जा सकता है। इसलिए घरेलू स्तर पर उत्पादित पेट-कोक का ईंधन के रूप में उपयोग को प्रतिबंधित करने और सीमेंट, लाइम-भट्ठा, कैल्सियम कार्बाइड, गैसीकरण, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, एल्यूनियम और कैल्साइन उद्योग में इसके फीडस्टॉक के रूप में उपयोग को सीमित करने हेतु विधायी / अन्य उपायों की आवश्यकता है।

उपरोक्त के आलोक में, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 23.1.2020 एवं पुन: दिनांक 30.3.2020 को प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में फर्नेस ऑयल के बदले वैकल्पिक ईंधन की उपलब्धता के मुद्दों पर चर्चा करने हेतु संबंधित हितधारकों की बैठक बुलाई गयी थी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रतिवेदन के अनुसार बिहार राज्य में औद्योगिक इकाईयों में उपयोग हेतु वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 26,660 मीट्रिक टन फर्नेस ऑयल की आपूर्ति की गयी जिसमें सीमेंट उद्योग (31%), पावर (24%), रोलिंग मिल (12%), डेयरी (06%), रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर (12%), फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) (09%). रेलवे (01%) एवं अन्य (05%) सम्मिलित हैं। यह सूचित किया गया कि राज्य में फर्नेस ऑयल के थोक उपभोक्ता एन. टी. पी. सी., कहलगांव (5529 मीट्रिक टन), अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (7094 मीट्रिक टन), ब्रिटॉनिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हाजीपुर (1933 मीट्रिक टन), नालंदा डेयरी (1361 मीट्रिक टन), ITC मुंगेर (1131 मीट्रिक टन) और पटना अवस्थित रोलिंग मिल्स (2646 मीट्रिक टन) हैं।

इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (IOCL) राज्य में एल. एन. जी (LNG) की आपूर्ति हेतु नेटवर्क विकसित करने की प्रक्रिया में है, लेकिन इसमें अभी करीब 3 वर्ष और लगेंगे। बरौनी ऑयल रिफाइनरी में ईंधन श्रेणी का पेट-कोक और फर्नेस ऑयल का उत्पादन नहीं किया जाता है। वैकल्पिक ईंधन की तुलना में फर्नेस ऑयल के सस्ता होने के कारण संबंधित उद्योगो पर करीब 33 प्रतिशत का आर्थिक भार बढेगा। इसलिए उद्योग संघों द्वारा राज्य सरकार से वित्तीय अनुदान/सहायता का अनुरोध किया गया है ताकि वे फर्नेस ऑयल की जगह वैकल्पिक ईंधन का उपयोग कर सकें।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ राज्य सरकार पेट-कोक एवं फर्नेस ऑयल के उपयोग हेतु राज्य नीति निम्मवत् तैयार करती है: -

(i) पेट कोक (आयातित या घरेलू स्तर पर उत्पादित) का उपयोग बिहार राज्य में किसी भी बॉयलर या भट्ठी या किसी भी प्रकार के उष्मन तंत्र (Heating system) में औद्योगिक ईंधन के रूप में नहीं किया जाएगा।

(ii) पेट कोक (आयातित या घरेलू स्तर पर उत्पादित) का उपयोग फीडस्टॉक के रूप में या कुछ निश्चित श्रेणी के उद्योगों में निर्माण प्रक्रिया यथा-क्लिंकर उत्पादन हेतु सीमेंट उद्योग में, चूना-भट्ठा, कैल्सियम काबाईड, गैसीफिकेशन, एल्मुनियम उद्योग में एनोड उत्पादन में एवं राज्य में कैलसाइन्ड पेट कोक उत्पादन करने वाली कैल्साइनर उद्योगों में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय के संदर्भ संख्या- Q-18011/54/2018-CPA दिनांक 10.9.2018 द्वारा पेट कोक के विनियमन एवं अनुश्रवण हेतु अधिसूचित दिशा-निर्देश का पालन करते हुए किया जा सकता है।

(iii) किसी भी बॉयलर अथवा फर्नेस अथवा किसी प्रकार के मौजूदा परिचालित उद्योगों (Existing operational industries) के उष्मन तंत्र में फर्नेस ऑयल का उपयोग पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा NOx एवं SOx के लिए अधिसूचना संख्या GSR96 (E) दिनांक 29.1.2018 द्वारा अधिसूचित तथा समय-समय पर यथा संशोधित उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करते हुए स्वच्छ ईंधन के रूप में LNG/ PNG की आपूर्ति नेटवर्क विकसित होने तक किया जा सकेगा।

(iv) राज्य के पटना, मुजफ्फरपुर एवं गया जैसे मानकों को पूरा नहीं करने वाले शहरों (Non-attainment cities) तथा हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र जैसे अतिप्रदूषित क्षेत्र में नए/अथवा प्रस्तावित उद्योगों द्वारा फर्नेस ऑयल का उपयोग ईंधन के रूप में नहीं किया जायेगा।

(v) फर्नेस ऑयल आधारित उद्योगों को अन्य स्वच्छ ईंधन तकनीक में परिवर्तन हेतु अनुदान दिये जाने के संबंध में उद्योग विभाग, बिहार द्वारा अलग से निर्णय लिया जा सकेगा।

जिलाधिकारी कार्यालय, पटना 1

(गोपनीय शाखा)

आदेश

जिला में Corona Virus के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना से बचाव हेतु संबंधित सभी कार्यों के Coordination एवं सफल संचालन हेतु DRCC, पटना में Integrated Corona Control Room ("कोविड-19 नियंत्रण कक्ष, पटना") स्थापित किया गया है। इस नियंत्रण कक्ष से कोविड-19 के लक्षण से युक्त तथा संक्रमितों के सम्पर्क में आए व्यक्तियों की मदद करने तथा कोरोना जाँच / चिकित्सीय तथा अन्य सुविधा की उपलब्धता की जानकारी दूरभाष के माध्यम से दी जायेगी। यह समेकित "कोविड-19 नियंत्रण कक्ष, पटना" जिला निबंधन-सह-परामर्श केन्द्र, छज्जुबाग, पटना में संचालित होगा। "कोविड-19 नियंत्रण कक्ष, पटना" द्वारा निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेगी:-

- चिकित्सीय परामर्श।
- जाँच की सुविधाओं की जानकारी ।
- कोविड केयर सेन्टर/ डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर/ कोविड अस्पतालों में ईलाज एवं बेड से संबंधित जानकारी।
- बीमार/लाचार / वृद्ध/ गर्भवती महिलाओं के लिए-
  - घर पर जांच की व्यवस्था।
  - अस्पतालों में भर्ती हेतु एम्बुलेंस की व्यवस्था।

"कोविड - 19 नियंत्रण कक्ष, पटना" द्वारा उपरोक्त सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोविड-19 टॉल फ्री नं. - 18003456019 संचालित की जा रही है, जिस पर कोई भी व्यक्ति द्वारा उक्त टॉल फ्री नंम्बर पर कॉल कर सुविधाऐं प्राप्त कर सकतें हैं।

यह नियंत्रण कक्ष राउण्ड-द-क्लॉक तीन पालियों में कार्यरत रहेगा। प्रत्येक पाली में पदाधिकारी एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति पूर्व की तरह ही रहेगी। इस समेकित नियंत्रण कक्ष के वरीय नोडल पदाधिकारी, श्री अरूण कुमार झा, अपर जिला दंडाधिकारी, विशेष कार्यक्रम, पटना, 9473428848 तथा नोडल पदाधिकारी श्री कुमारिल सत्यानन्दन, वरीय उप समाहर्ता, पटना 9199626949/7909066981 को नामित किया जाता है। श्री बिष्णुदेव मंडल, विशेष कार्य पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना (मो.- 9431803234) तथा श्री संजीव कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना (मो. 9771347949) को इस नियंत्रण कक्ष के राउण्ड-दी-क्लॉक संचालन हेतु वरीय नोडल पदाधिकारी के साथ संबद्ध किया जाता है।

इस समेकित नियंत्रण कक्ष के सुचारू रूप से संचालन हेतु इसके अन्तर्गत निम्न कोषांगों का गठन किया जाता है:-

कोषांग का नाम	किये जाने वाले कार्य	प्रतिनियुक्त पदाधिकारी
1. Contact Tracing Cell	• यह कोषांग नोडल पदाधिकारी, श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, अपर समाहर्त्ता, पटना के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में पूर्व की भाँति DRCC, पटना मे कार्यरत रहेगा। • इस Cell का दायित्व कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों के सम्पर्क में आए हुए व्यक्तियों की पहचान कर पूर्ण पता के साथ Home Isolation / Testing Cell को हस्तगत कराऐंगे। • साथ ही सेनिटाईजेशन के लिए संबंधित नगर निकाय को तथा Containment Zone बनाने हेतु संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी को सूची उपलब्ध कराएगें।	• श्री राजीव कु. श्रीवास्तव अपर समाहर्ता, पटना 9473191199 वरीय नोडल पदाधिकारी • श्री प्रमोद कुमार अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी पटना मो. नं. 7765857977 नोडल पदाधिकारी • पूर्व से कोषांग में प्रति-नियुक्त पदाधिकारी / कर्मी कार्यरत रहेंगे।
2 Home Isolation Cell	• यह कोषांग नोडल पदाधिकारी श्री कुमारिल सत्यनन्द, वरीय उप समाहर्त्ता, पटना के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में पूर्व की भाँति DRCC, पटना में निर्धारित स्थल पर कार्यरत रहेगा। • कोरोना जाँच की तिथि से संक्रमित व्यक्तियों को प्रत्येक दिन अगलें दस दिनों तक अथवा उनके डिसचार्ज होने तक स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे एवं Prescribe किये गये दवाओं के उपलब्धता का अनुश्रवण करेंगे। • चिकित्सीय परामर्श की आवश्यकता रहने पर संबंधित व्यक्तियों की विवरणी चिकित्सा कोषांग को उपलब्ध कराई जाए। • अगर किसी होम आईसोलेशन के मरीज के तबीयत खराब होने सूचना प्राप्त होती है तो तत्क्षण चिकित्सा कोषंग एवं ऐबुलेंस कोषांग से समन्वय स्थापित कर आवश्यकतानुसार कोविड केयर सेन्टर/ डेडिकेटेड कोविड अस्पताल/ जिला कोविड केयर सेन्टर में भर्ती कराना सुनिश्चित करेंगे।	• श्री कुमारिल सत्यानंदन वरीय उप समाहर्ता पटना मो. 7909066981 • पूर्व से कोषांग में प्रति-नियुक्त पदाधिकारी/कर्मी कार्यरत रहेंगे।
3 टेली मेडिसन कोषांग	• Home Isolation Cell से प्राप्त वैसे मरीजों की सूची, जिन्हें चिकित्सीय परामर्श की आवश्कता हो तथा मरीजों को दवा संबंधित परामर्श की आवश्यकता हो, को चिकित्सा कोषांग में प्रतिनियुक्त चिकित्सक Phone call एवं Video	• डॉ अजीत कुमार मो.- 6287590584 • डॉ. सुधीर कुमार सिंह मो.- 6287590581 • डॉ. जावेद अनवर • राकेश कुमार आई. टी. प्रबंधक

	Call (फोन नं.- 6287590584 / 6287590581) के माध्यम से चिकित्सीय परामर्श उलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। आवश्यकता -नुसार इन मरीजों को दवा की उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करेंगे।	
4 चिकित्सा कोषांग	• चिकित्सीय परामर्श तथा दवा की उपलब्धता राउण्ड-दी-क्लॉक उपलब्ध कराना। • चिकित्सीय नियंत्रण कक्ष दूरभाष संख्या 0612- 2249964 तथा जिला नियंत्रण कक्ष दूरभाष संख्या-0612- 2219090 पर प्राप्त कोरोना संक्रमितों से संबंधित फोन कॉल के आधार पर सभी समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करना। • यह कोषांग विभिन्न कोविड केयर सेन्टर / आईसोलेशन सेन्टर / डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर के नोडल पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर बेड / ऑक्सीजनयुक्त बेड की उपलब्धता से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे तथा क्रिटीकल कोविड संक्रमितों को आवश्यकतानुसार बेड की उपलब्धता के आलोक में एम्बुलेंस भेज कर संबंधित कोविड केयर सेन्टर पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।	• डॉ. विनायक जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, पटना मो. - 9470003548 • सिविल सर्जन, पटना द्वारा इस कोषांग के दिवा-रात्रि संचालन हेतु चिकित्सकों / कर्मियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।
5 दवा उपलब्धता कोषांग	• होम आईसोलेशन में चिन्हित मरीजों या वैसे मरीज, जो कि अस्पताल में भर्ती नहीं होना चाहते हैं, तथा Home Isolation में रहना चाहतें हैं, को डाक के माध्यम से दवाएँ उपलब्ध कराई जा रही है। • यह कोषांग चिकित्सा दल के द्वारा चिन्हित मरीजों को दवा Prescribe किये जाने के उपरान्त ससमय दवाओं की उपलब्धता का अनुश्रवण करेगा। इस कोषांग का संचालन डाक विभाग के द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मी के द्वारा किया जाएगा। इस कोषांग का संचालन चिकित्सा कोषांग के नेतृत्व में किया जायेगा।	• श्री सुशील कुमार पोस्टल विभाग जे. पी. ओ. पटना मो. 9431492359
6 Testing Cell	• यह दल चिकित्सा कोषांग के अन्तर्गत कार्यरत रहेगा। सिविल सर्जन पटना द्वारा पर्याप्त संख्या में टेस्टिंग हेतु मोबाईल दल (वाहन के साथ) का गठन करते हुए समेकित कॉल सेन्टर पर प्रतिनियुक्ति करेंगे।	• श्री यतेन्द्र कुमार पाल भा.प्र.से. (प्रशिक्षु)-सह -सहायक समाहर्ता मो.: 9013318570 वरीय नोडल पदाधिकारी
	• कॉल सेन्टर में प्राप्त कॉलों की समीक्षा के क्रम मे यदि महसूस किया जाता है कि किसी व्यक्ति विशेष के घर अथवा किसी कार्यालय में समूह में लोगों का कोविड टेस्ट कराया जाना आवश्यक है, तो इस दल को नाम, पता देते हुए कॉल सेन्टर के वरीय नोडल/नोडल पदाधिकारी के निदेशानुसार भेजा जायेगा। • Testing हेतु प्राप्त सभी कॉल एवं कृत कार्रवाई से संबंधित प्रपत्र तैयार कर पंजीकृत करना सुनिश्चित करेंगे।	• श्री प्रवीण कुन्दन वरीय उप समाहर्ता, पटना मो.- 8130697072 नोडल पदाधिकारी • श्री प्रशांत कुमार महामारी विद् मो. - 9471002879
7 Ambulance Cell	• कोरोना से संक्रमित मरीजों के Phone Call आने पर मरीज के संबंध में समस्त जानकारी प्राप्त कर Computer या पंजी में दर्ज कराना • अवश्यकता पड़ने पर मरीज को डेडिकेटेड अस्पतालो या आईसोलेशन सेन्टर पर ले जाने की व्यवस्था करेंगे। • यह कोषांग कोविड मरीजों के अस्पताल / कोविड केयर सेन्टर रेफर किये जाने की स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर वृद्ध/ लाचार / गर्भवती महिलाओं को एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करायेंगे।	• सिविल सर्जन/ डी. पी. एम. द्वारा इस कोषांग के 24X7 संचालन हेतु पालीवार पदाधिकारी / एम्बुलेंस की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
8 सेनेटाईजेशन कोषांग	• यह कोषांग विभिन्न आइसो-लेशन सेन्टर्स / दूरभाष पर सेने-टाईजेशन कराने हेतु किये गये अनुरोध के आलोक में पटना नगर निगम से समन्वय स्थापित कर सेनेटाईजेशन कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।	• श्री अरविन्द कुमार सिटी मैनेजर, मुख्यालय पटना नगर निगम मो. : 9304125321

प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों / चिकित्सकों को निदेशित है कि नियंत्रण कक्ष का सुचारू संचालन सुनिश्चित करेंगे, ताकि कोरोना संक्रमण से प्रभावित सभी लोगों को आवश्यकतानुसार सभी निर्धारित सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा सके।

वरीय नोडल पदाधिकारी "कोविड-19 नियंत्रण कक्ष, पटना" को निदेशित है कि नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों /कर्मियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को निदेशित करते हुए मास्क लगाने हेतु निदेशित करेंगे।

जिलाधिकारी, पटना।

ज्ञापांक :- 6059 / गो., दिनांक :- 31.7.2020

प्रतिलिपि :- आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

जिलाधिकारी, पटना।

सुरक्षा हमारा मकसद
मास्क पहनिये काम पर चलिए

नावल कोरोना वायरस (COVID-19)

कोविड-19 की जाँच एवं ईलाज हेतु जिला स्तर पर उपलब्ध 24X7 मेडिकल हेल्प लाईन के माध्यम से सुविधा का लाभ उठायें उठायें।

चौबिस घंटे उपलब्ध टॉल फ्री नम्बर पर संपर्क कर निम्न सुविधाओं का लाभ उठायें

• चिकित्सीय परामर्श की सुविधा। • जाँच हेतु चिन्हित नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों / निजी जाँच केन्द्रों की जानकारी। • ईलाज हेतु सरकारी एवं निजी स्वास्थ्य संस्थानों संबंधी सभी जानकारी। • उच्च जोखिम युक्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं एवं गभीर रोगों से ग्रसित व्यक्ति की कोविड-19 जाँच कराने हेतु जिला नियंत्रण कक्ष के माध्यम से 24X7 एम्बुलेंस की मुफ्त सुविधा। • कोविड पॉजीटिव मरीजों को निर्धारित चिकित्सा केन्द्रों में भर्त्ती करने हेतु नि:शुल्क एम्बुलेंस की सुविधा।

जिला स्तर पर उपलब्ध मेडिकल हेल्प लाईन का सम्पर्क सूत्र

जिला का नाम	दूरभाष संख्या
अररिया	18003456617
औरंगाबाद	18003456612
अरवल	18003456611
बांका	18003456605
बेगूसराय	18003456604
भागलपुर	18003456606
भोजपुर (आरा)	18003456601
बक्सर	18003456602
पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	18003456624
पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	18003456603
दरभंगा	18003456610
गया	18003456613
गोपालगंज	18003456608
जमुई	18003456625
जहानाबाद	18003456614
कैमूर (भभूआ)	18003456636
कटिहार	18003456618
खगड़िया	18003456620
किशनगंज	18003456621
लखीसराय	18003456626
मधेपुरा	18003456632
मधुबनी	18003456623
मुंगेर	18003456627
मुजफ्फरपुर	18003456629
नालंदा	18003456119
नवादा	18003456615
पटना	18003456019
पूर्णियाँ	18003456619
रोहतास	18003456637
सहरसा	18003456633
समस्तीपुर	18003456635
सारण (छपरा)	18003456607
शेखपुरा	18003456628
शिवहर	18003456630
सीतामढ़ी	18003456631
सीवान	18003456609
सुपौल	18003456634
वैशाली (हाजीपुर)	18003456616

संजीवन मोबाईल ऐप

बिहार राज्य में कोविड-19 संबंधी सभी जानकारी संजीवन ऐप पर हुई उपलब्ध। इस ऐप को स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के वेबसाइट: www.health.bih.nic.in एवं राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के वेबसाइट http://statehealthsocietybihar.org पर उपलब्ध। लिंक के माध्यम से Install किया जा सकता है।

स्वास्थ्य संबंधी शिकायत हेतु डॉयल करें टॉल फ्री नं. 104
नि: शुल्क एम्बुलेंस हेतु डॉयल करें टॉल फ्री नं. 102

(साभार : प्रभात खबर, 4.8.2020)

माल भाड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत रेलवे ने दी कई रियायतें

भारतीय रेल द्वारा अर्थव्यवस्था में गति देने व माल ढुलाई को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापारी वर्ग व कंपनियों के लिए कई रियायतें घोषित किये गये हैं। इस कड़ी में माल भाड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत ओपेन वैगन में खुदरा/थोक फ्लाई एश की लोडिंग को शामिल किया गया है। ओपेन वैगन द्वारा फ्लाई एश की लोडिंग पर सामान्य टेरिफ दर के 40 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। मालभाड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत लोडेड कंटेनरों के हॉलेज चार्ज में ढील दी गयी है। (साभार : दैनिक जागरण, 5.8.2020)

पटना और नासिक के बीच सप्लाई चेन होगी मजबूत

• देवलाली से दानापुर के बीच किसान ट्रेन चलने से व्यापारी खुश
• पटना और बिहारवासियों को ताजे फल-सब्जियाँ उपलब्ध होंगी

नासिक और दानापुर के बीच से शुरू हुई किसान रेल से सब्जी और फल व्यापारियों में खुशी की लहर है। मालवाहक ट्रेन के चलने से पटना और नासिक के बीच सप्लाई चेन की कमियाँ दूर हो सकेंगी। अब जाम के कारण अंगूर खराब नहीं होगा और प्याज की आपूर्ति भी समय पर हो सकेगी।

पटना और बिहारवासियों को ताजे फल और सब्जियाँ खाने को मिल सकेंगी। किसान ट्रेन चलाने के लिए पटना फ्रूट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने केन्द्रीय रेल मंत्री को धन्यवाद दिया है।

उन्होंने मांग की है कि ट्रेन साप्ताह में एक बार चलने की जगह सप्ताह में तीन दिन चलाई जाए। महाराष्ट्र और बिहार के बीच चलने वाली ट्रेन से सब्जियों में प्याज और टमाटर की सप्लाई चेन में काफी सुधार होगा। अब तक नासिक से पटना के बीच सब्जियों की सप्लाई चेन केवल ट्रांसपोर्टरों पर ही निर्भर करती थी। ट्रेन चलने से पटना के व्यापारियों को नया विकल्प मिला है। व्यपारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस सुविधा के मिलने से कई तरह के फायदे मिलेंगे।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 8.8.2020)

शोरूम से बिना रजिस्ट्रेशन निकली गाड़ियाँ होंगी जब्त

परिवहन सचिव ने सभी डीटीओ और एमवीआइ को दिया निर्देश

राज्य भर के शोरूम से बिना रजिस्ट्रेशन और हाइ सिक्योरिटी नंबर के अगर गाड़ी निकलेगी, तो वाहन मालिक व डीलर पर कार्रवाई होगी। साथ ही, डीलर का रजिस्ट्रेशन भी निलंबित करने की कार्रवाई की जा सकती है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी डीटीओ व एमवीआइ को कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने डीटीओ व एमवीआइ को यह कहा है कि किसी भी स्थिति में बिना नंबर की गाड़ी शोरूम से बाहर सड़क पर नहीं निकले। 13 अगस्त को सभी वाहन कंपनियों के साथ इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जायेगी। जिसमें डिफॉल्टर वाहन कंपनियों को अंतिम चेतावनी दी जायेगी। यदि सुधार नहीं होता है, तो उनके रजिस्ट्रेशन पर रोक लगेगी। (विस्तृत : प्रभात खबर, 12.8.20)

सं०सं०—2/विविध अ०स०को०/2020 — 370/(क्र.नि.कि.)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

कौशल किशोर, भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक—20/08/2020

विषयः— राज्य के निजी चिकित्सा संस्थानों में कोविड—19 संक्रमित मरीजों के ईलाज हेतु उनसे लिये जाने वाले शुल्क की अधिकतम सीमा के निर्धारण के संबंध में।

महाशया/महाशय,

राज्य के वैसे प्राधिकृत निजी चिकित्सा संस्थान, जहाँ कोविड—19 संक्रमित मरीजों का ईलाज किया जा रहा है, में कोविड—19 के ईलाज हेतु अधिकतम दर निर्धारित करने हेतु राज्य के शहरों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत कर कोविड—19 के ईलाज हेतु मरीजों से लिये जाने हेतु शुल्क की अधिकतम दर निर्धारित की गई है।

1. शहरों/जिलों का वर्गीकरण
   - (i) श्रेणी—A — पटना
   - (ii) श्रेणी—B — भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया एवं पूर्णियां
   - (iii) श्रेणी—C — शेष अन्य जिले।

2. शुल्क का निर्धारण

वर्तमान में कोविड—19 पॉजिटिव मरीजों का इलाज सरकार द्वारा अधिकृत विभिन्न निजी चिकित्सालय द्वारा किया जा रहा है। उपरोक्त निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड—19 से संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु निम्नलिखित दर निर्धारित किया जा रहा है।

(क) श्रेणी—A वाले जिलों के निजी अस्पतालों में कोविड—19 पॉजिटिव मरीजों से लिये जाने हेतु निम्नलिखित दर पर अधिकतम शुल्क निम्नवत् निर्धारित की गई है :—

Hospitals rate for per day of admission(in Rs.)			
Category of hospital	*Moderate Sickness* ISOLATION BEDS Including supportive care and oxygen	*Severe Sickness* ICU without need for ventilator care	*Very Severe Sickness* ICU with ventilator care (invasive/non-invasive)
NABH accredited Hospitals (including entry level)	10,000/- (including cost of PPE Rs. 1200)	15,000/- (including cost of PPE R.s. 2000)	18,000/- (including cost of PPE R.s. 2000)
Non-NABH accredited Hospitals	8000/- (including cost of PPE Rs. 1200)	13,000/- (including cost of PPE R.s. 2000)	15,000/- (including cost of PPE R.s. 2000)

(ख) श्रेणी—B वाले जिलों में स्थित निजी अस्पतालों द्वारा उक्त दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत अधिकतम शुल्क निर्धारित किया गया है :—

Hospitals rate for per day of admission(in Rs.)			
Category of hospital	*Moderate Sickness* ISOLATION BEDS Including supportive care and oxygen	*Severe Sickness* ICU without need for ventilator care	*Very Severe Sickness* ICU with ventilator care (invasive/non-invasive)
NABH accredited Hospitals (including entry level)	8,000/- (including cost of PPE Rs. 1200)	12,000/- (including cost of PPE R.s. 2000)	14,400/- (including cost of PPE R.s. 2000)
Non-NABH accredited Hospitals	6,400/- (including cost of PPE Rs. 1200)	10,400/- (including cost of PPE R.s. 2000)	12,000/- (including cost of PPE R.s. 2000)

(ग) श्रेणी—C श्रेणी वाले जिलों में स्थित निजी अस्पतालों द्वारा उक्त दरों का क्रमशः 60 प्रतिशत अधिकतम शुल्क निर्धारित किया गया है :—

Hospitals rate for per day of admission(in Rs.)			
Category of hospital	*Moderate Sickness* ISOLATION BEDS Including supportive care and oxygen	*Severe Sickness* ICU without need for ventilator care	*Very Severe Sickness* ICU with ventilator care (invasive/non-invasive)
NABH accredited Hospitals (including entry level)	6,000/- (including cost of PPE Rs. 1200)	9,000/- (including cost of PPE R.s. 2000)	10,800/- (including cost of PPE R.s. 2000)
Non-NABH accredited Hospitals	4,800/- (including cost of PPE Rs. 1200)	7,800/- (including cost of PPE R.s. 2000)	9,000/- (including cost of PPE R.s. 2000)

— अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन
Kaushal 20/8/2020
(कौशल किशोर)
अपर सचिव।

ज्ञापांक :— 370/(क्र.नि.कि.) पटना, दिनांक :— 20/08/2020

प्रतिलिपि :— सभी सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

Kaushal 20/8/2020
अपर सचिव।

PT.GPO/R-10/NP-15/2017-19 R. N. 4211/62

''मुख्यमंत्री राहत कोष, बिहार'' में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के आह्वान पर योगदान

कोरोना वायरस (COVID-19) की विषम परिस्थिति के आलोक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के आह्वान पर ''मुख्यमंत्री राहत कोष, बिहार'' में निम्नांकित सदस्यों/संस्थाओं ने कृपापूर्वक अपना योगदान (Contribution) दिया है। उन सदस्यों/संस्थाओं के प्रति चैम्बर हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

श्री एस० के० अग्रवाल
मे० स्पीडक्राफ्ट्स इंफ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड, पटना

श्री पी० के० अग्रवाल
पटना

श्री जे० के० झुनझुनवाला
मे० श्री एस० के० इंडस्ट्रीज, पटना

श्री एस० के० पटवारी
मे० पटवारी स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड, पटना

श्री विनोद कुमार पाठक
मार्बल टाइल्स एंड ग्रेनाइट व्यवसायी कल्याण समिति, पटना

श्री नीरज कुमार खेमका
मे० नीरज ट्रेडिंग कम्पनी, पूर्णियाँ

श्री संजय कुमार खेमका
मे० पाइनेक्स स्टील इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, पटना

श्री बेनी प्रसाद खेमका
मे० खेमका मेडिकल एजेंसीज, सहरसा

श्री प्रदीप कुमार बोहरा
मे० कृष्णा वेयरहाउसिंग एंड ट्रेडिंग कम्पनी, पटना

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के आह्वान पर '' मुख्यमंत्री राहत कोष, बिहार '' में योगदान हेतु विशेष आभार

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने कोरोना वायरस (COVID-19) के बढ़ते संक्रमण के आलोक में ''मुख्यमंत्री राहत कोष, बिहार'' में योगदान करने का आह्वान किया था।

चैम्बर निम्नांकित सदस्यों/संस्थाओं के प्रति विशेष रूप से हृदय से आभारी है जिन्होंने चैम्बर के आह्वान पर 6 अंकों की राशि का सहयोग ''मुख्यमंत्री राहत कोष, बिहार'' में सहृदयता से किया। उनके इस योगदान से चैम्बर का मान-सम्मान बढ़ा है।

उपयुक्त समय पर चैम्बर उनका भी सम्मान करना चाहता है।

श्री एस. के. अग्रवाल

श्री एस. के. पटवारी
एवं
श्री पी. के. अग्रवाल

श्री संजय कुमार खेमका

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
RAMCHANDRA PRASAD
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296